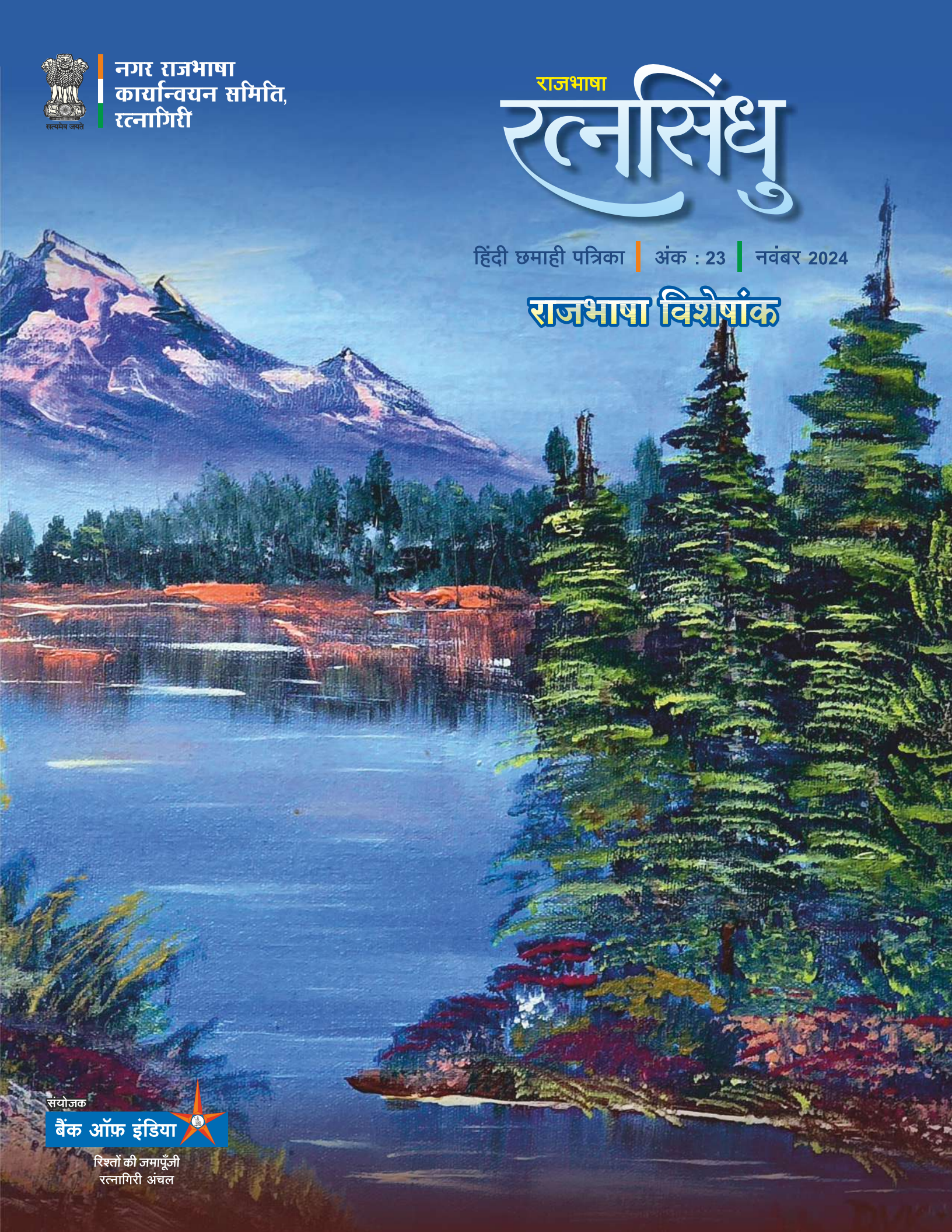

नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति,
रत्नागिरी

सत्यमेव जयते

राजभाषा

रत्नसिंधु

हिंदी छमाही पत्रिका | अंक : 23 | नवंबर 2024

राजभाषा विशेषांक

संयोजक
बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी
रत्नागिरी अंचल

हमारे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कविता संग्रह का विमोचन

माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के करकमलों से संपन्न हो गया।
साथ में सचिव अंशुली आर्या और अध्यक्ष श्री नरेंद्र रघुनाथ देवरे जी।

आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।

संदीप कृष्ण,
सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क मंडल

शैलेश बापट
क्षेत्रीय रेल प्रबंधक, कोंकण रेलवे

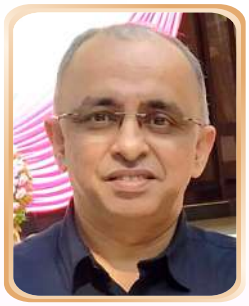

सुहास विद्वांस,
केंद्र प्रमुख ,आकाशवाणी

श्री सागर घनश्याम नाईक
आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र

सुधीर प्रजापति
मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा

अध्यक्षीय संबोधन....

प्रिय साथियो...

सर्वप्रथम सभी को सस्नेह नमस्कार। अपनी समिति की हिंदी पत्रिका राजभाषा रत्नसिंधु का 23 वां अंक आपके हाथ सौंपते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर हमें इस हिंदी पत्रिका के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। अपनी प्रतिभा को उजागर करने एक बड़ा माध्यम अपने पास है।

समिति हमेशा अपनी छमाही पत्रिका राजभाषा रत्नसिंधु द्वारा विभिन्न विषयों को लेकर विविधता में एकता का दर्शन कराती है। इस बार हमने इसके साथ-साथ तकनीकी विषयों को भी सम्मिलित किया है। हमारी समिति हमेशा राजभाषा कार्यान्वयन को प्राथमिकता देती है। आप सभी के सकारात्मक रवैये के कारण ही समिति ने अपनी ऊंचाईयों को हासिल किया है। जब भी समिति आपको आवाह्न करती है तब आप सभी सदस्य कार्यालय उस कार्य के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम राजभाषा के साथ-साथ सामाजिक दायित्व का भी निर्वाहन कर रहे है। साथ ही हमें समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय पश्चिम की ओर से मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। इनके मार्गदर्शन में हमारी समिति ख 'क्षेत्र' में बड़ी-बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर रही है।

हमारी समिति में विभिन्न सरकारी कार्यालय हैं। बैंक और बीमा कंपनियाँ हैं, उपक्रम भी हैं और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्यालय भी हैं।

समिति विशेष विचारों को लेकर ई पत्रिका 'प्रेरणा' का भी प्रकाशन करती है। प्रेरणा के अब तक12 अंक प्रकाशित हो गए है। समिति इसी शृंखला में नवोन्मेषी प्रयोगों को अपनाकर सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन से आपके सहयोग से शीर्ष स्थान हासिल करेगी।

पुन: आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

धन्यवाद

दिनांक : 28 नवंबर, 2024

नरेंद्र देवरे

श्री नरेंद्र रघुनाथ देवरे

अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी

संपादकीय...

साथियों...

आप सभी को सविनय नमस्कार,

हमारी पत्रिका राजभाषा रत्नसिंधु का नवीनतम अंक आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे आनंद हो रहा है। समिति राजभाषा रत्नसिंधु पत्रिका को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। राजभाषा रत्नसिंधु के पिछले अंक में सम्मिलित आलेख, काव्य पर बहुत से पाठकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं ने हमें पत्रिका में विविधता लाने के लिये उत्साहित किया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। यह अंक राजभाषा अंक के रुप में प्रकाशित कर रहें है। इसमें राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, नियम को सम्मिलित किया गया है।

समिति द्वारा आयोजित हिंदी पखवाडे में सभी सदस्य कार्यालयों ने बड़े उत्साह से सहभागिता दर्ज की उनका आभार व्यक्त करता हूं। आयोजक कार्यालयों ने भी आंबटित प्रतियोगिताओं का सुंदर आयोजन किया उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। पुरस्कार प्राप्त सभी स्टाफ सदस्यों का अभिनंदन।

समिति हमेशा नवोन्मेषी प्रयोग को अपना रहीं है और हम उसमें बडे पैमाने पर सफलता पा रहें है। इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। इन्हीं प्रयासों को हम आगे जारी रखेंगे। पिछली बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर हमने कार्रवाई की है, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। हिंदी दिवस बड़े उत्साह से मनाया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। सभी कार्यालयों में राजभाषा प्रभारियों को नामित किया गया है, उनके लिए राजभाषा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। समिति सभी निर्णयों का अनुपालन करने में सफल रही क्योंकि सभी आयोजनों के प्रति सदस्य कार्यालयों का दृष्टिकोन हमेशा की तरह सकारात्मक रहा है।

जागतिक पर्यावरण दिवस के अवसर पर समिति ने 'नराकास वृक्ष मित्र मंच' की स्थापना की और एक नए प्रयोग का प्रारंभ हो गया। इसी दौरान वृक्षारोपण, पौधे वितरण, हर-घर तिरंगा के अंतर्गत नराकास बाइक रैली, नेत्र चिकित्सा शिबिर, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिबिर, कविता संग्रह का प्रकाशन आदि. विभिन्न समारोहों का आयोजन किया गया। समिति की कोर कमेटी है जो विभिन्न कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों से मिलकर बनी है और सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ाने के निर्णय लेती है। मैं कोर कमेटी के सभी सदस्यों को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। आप अपनी सक्रियता इसी तरह बनाए रखें।

राजभाषा रत्नसिंधु का नवीनतम अंक आपको जरुर पसंद आएगा। हमारी समिति की यह एक ऐसी पत्रिका है जिसके जरिए हम अपने कार्यालयों की सृजनात्मकताओं और उत्कृष्टताओं से देशभर को परिचित करवा सकते हैं। पत्रिका को और अधिक पठनीय बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है।

शुभ कामनाओं सहित,

धन्यवाद।

(रमेश गायकवाड)

सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

राजभाषा
रत्नसिंधु

अंतरंग

1.	निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।	1
2.	इंटरनेट बना "सच्चा साथी"	2
3.	भारतीय शेयरबाजार को खुदरा निवेशकों का सहारा!	5
4.	ऑनलाईन कारोबार	8
5.	एलोरा का कैलाश मंदिर	10
6.	वाचन संस्कृति	11
7.	भारत के प्राचीन मंदिर	13
8.	मेरा बचपन	15
9.	आपकी बैंक आपका खाता..... केवाईसी	16
10.	भारतीय संविधान अनुच्छेद 351	19
11.	भारत सरकार की राजभाषा नीति	20
12.	राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967)	22
13.	संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम	23
14.	उच्चाधिकारियों के लिए टिप्पणियां	25
15.	संसदीय राजभाषा समिति	26

अध्यक्ष
श्री नरेंद्र रघुनाथ देवरे
अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक,
बैंक ऑफ़ इंडिया

संपादक
रमेश गायकवाड
सदस्य सचिव
एवं वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा,
बैंक ऑफ़ इंडिया

संपादन सहयोग

संतोष पाटोळे
कोंकण रेलवे

मोहित चौधरी
बैंक ऑफ़ इंडिया

चंद्रकांत कुमार
भारतीय तटरक्षक अवस्थान

ताह मिरकर
सीमा शुल्क मंडल कार्यालय

प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार रचनाकारों के स्वयं के हैं। अतः यह आवश्यक नहीं की इनसे सम्पादक मण्डल सहमत हो।

संपर्क कार्यालय : अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, रत्नागिरी महाराष्ट्र - 415 639.
ई-मेल – Tolic.Ratnagiri@bankofindia.co.in, वेबसाईट - http://narakasratnagiri.co.in.

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

निज भाषा उन्नति अहैं, सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।

निज भाषा का अर्थ स्वयं की अपनी भाषा से है, अर्थात इसे मातृभाषा का समानार्थी माना जाता है। निज अर्थात अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण कदापि संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की कलाएं और असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान, सभी देशों से अवश्य लेना चाहिए परंतु उनका प्रचार मातृभाषा के द्वारा ही करना चाहिए। इतिहास की ओर यदि देखा जाए तो तिलक जी, पटेल जी जैसे महान स्वतन्त्रता सेनानियों के मुख से निकलने वाली हिन्दी ही सबकी भावनाओं में जोश उठाने का मुख्य कारण बनी थी। यह वही मानसिकता थी जिसे भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा लिखकर हिन्दी मानस को उद्वेलित किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह कारवाँ रुका नहीं अपितु चलता ही रहा, लेकिन राजनीतिक संकल्प शक्ति में अभाव के कारण हिन्दी भाषा की स्थिति आज तक उतनी सुदृढ़ नहीं हो पायी जितनी अपेक्षित थी। वास्तव में अपनी भाषा के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। आज जब नन्हें-नन्हें बच्चे विदेशी भाषा की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं तो वे न भाषा समझ पाते हैं और न ही विषय। उनकी मौलिक प्रतिभा, मनोबल सबका हनन हो जाता है। गांधी जी ने कहा था कि व्यक्ति का मौलिक चिंतन सदैव मातृभाषा में होता है। इसलिए जब कोई बाहरी भाषा उनपर थोपी जाती है तो उसकी मौलिक क्षमता का ऱ्हास होता है।

संस्कृत को सरल करने के लिए हिन्दी का जन्म हुआ एवं संस्कृत की प्रथम अधिकारिक भाषा हिन्दी है जो कि प्राकृत के रुप में देश की समस्त आधुनिक भाषाओं की जननी है एवं इसी कारण से हम इसे भारत की सर्वव्यापी भाषा का दर्जा देते हैं। साथ ही साथ यह कोई नयी जानने योग्य बात नहीं है कि हिन्दी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज के आधुनिक संसार में ऐसा कोई देश नहीं जहां हिन्दी न बोली जाती हो क्योंकि हर जगह का अस्तित्व भारत से हुआ है और हिन्दी भारत की धरोहर है। मातृभाषा में माँ जैसी अंतरंगता और भाव की प्रधानता होती है। मातृभाषा में पढ़ना, लिखना, समझना व अभिव्यक्त करना अन्य भाषाओं की तुलना में सहज व सरल होता है। आज के समय में हिन्दी विश्व की सबसे प्रसिद्ध पांच भाषा में से एक है। अत: हम अपनी मातृभाषा का गौरव बढ़ाएं क्योंकि यह राष्ट्र निर्माण की प्रथम सीढ़ी है। हमारे देश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा अवश्य मिला है परंतु उसकी आधिकारिक कार्य में कोई अहमियत नहीं है। वर्तमान के समय में हिन्दी भाषा सिर्फ नाम मात्र के लिए श्रेष्ठ है, इसका वास्तविक महत्व लोग प्राय: भूल जाते हैं। आज देश में हिन्दी और अंग्रेजी की लड़ाई में हिन्दी हारती नजर आ रही है। एक तरह से समझा जाए तो हिन्दी हमारे दिल की भाषा है और अंग्रेजी पेट की भाषा है। देश में हिन्दी बोलने वालों को महत्व नहीं दिया जा रहा है।

हमारा देश भारतवर्ष गौरवशाली व संस्कृति प्रधान देश रहा है। यहाँ पर विभिन्न धर्मो के अनुयायी व अनेकों भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। स्वाभाविक है इतनी भाषाएं होने पर वैचारिक भिन्नता भी अवश्य होगी। अत: अनेकता में एकता का आह्वान करने हेतु व पूरे राष्ट्र के वासियों को आपस में एक-दूसरे के विचारों के आदान-प्रदान के लिये एक राष्ट्रीय भाषा का होना आवश्यक था। अत: संस्कृत के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। विदेशी या दूसरी भाषा का ज्ञान होना गलत नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर हमारी ज्ञान-पिपासा में वृद्धि ही होती है किन्तु अपनी भाषा की उपेक्षा निंदनीय है। स्वतन्त्रता के पश्चात भी हमारे देश में अंग्रेजी को ही प्रमुख स्थान दिया जाता रहा है, कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम मानसिक तौर पर अभी भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अब समय है लोगों को अपनी भाषा के महत्व से रुबरु करवाने का व पुन: उच्चतम स्तर पर स्थापित करने का हमें बच्चों को देश के उज्ज्वल भविष्य हेतु हिन्दी भाषा व देश-प्रेम के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

किसी भी देश की भाषा उसकी उन्नति का मार्ग होती है और भारत में हिन्दी ने इसमें सबसे अहम भूमिका निभायी है। हिन्दी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसने पूरे देश को एकता के बंधन में बांध के रखा है। हिन्दी ही एक मात्र भाषा है जिसमें इंसान अपनी अनुभूति व अभिव्यक्ति पूर्ण रुप से जाहिर कर सकता है अन्यथा यह विशेषता किसी और भाषा में पूर्ण रुप से नहीं पाई जाती है। जब तक हिन्दी भाषा या हिन्दी के साहित्यकार स्वस्थ दृष्टिकोण से हीनभावना से मुक्त होकर हिन्दी के लिए ठोस कार्य नहीं करेंगे, तब तक हिन्दी अपना खोया हुआ सम्मान पुन: नहीं पा सकेगी और देशवासी अपना शत प्रतिशत योगदान नहीं कर पाएंगे। फलस्वरुप देश का विकास बाधित होकर अपेक्षा के अनुरुप परिणाम नहीं दे पाएगा।

सन्दीप पाटील
भारतीय स्टेट बैंक

हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो सभी प्रांतों की भाषा हो सकती है। - पं. कृ. रंगनाथ पिल्लयार

इंटरनेट बना "सच्चा साथी"

प्रगति के पथ पर मानव बहुत उँचा पहुंच गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम प्राप्त हो गये हैं जो हमें जीवन की सभी सुविधाएं, सभी आराम प्रदान करते हैं। आज संसार को मानव ने अपनी मुट्ठी में समाया हुआ है। सबसे अधिक क्रांतिकारी कदम संचार क्षेत्र में उठाए गए हैं। अनेक नए स्त्रोत, नए साधन और नई सुविधाएं प्राप्त कर ली गई हैं जो हमें आधुनिकता के दौर में काफी ऊपर ले जाकर खड़ा करती है। ऐसे ही संचार साधनों में आज एक बड़ा ही सहज नाम है इंटरनेट। इसकी शुरुआत 1969 में एडवान्स्ड रिसर्च प्रोजेक्टस एजेंसिज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के चार विश्वविद्यालयों के कम्प्यूटरों की नेटवर्किंग करके की गई थी। इसका विकास मुख्य रुप से शिक्षा, शोध एवं सरकारी संस्थाओं के लिए किया गया था। इसके पीछे मुख्य उदेश्य था संचार माध्यमों को वैसी आपात स्थिति में भी बनाए रखना जब सारे माध्यम निष्फल हो जाएं। 1971 तक इस कम्पनी ने लगभग दो दर्जन कम्प्यूटरों को इस नेट से जोड़ दिया था। 1972 में शुरुआत हुई ई-मेल अर्थात् इलेक्ट्रोनिक मेल की जिसने संचार जगत में क्रांति ला दी।

धीरे-धीरे इंटरनेट के क्षेत्र में विकास हुआ। 1994 में नेटस्केप कम्यूनिकेशन और 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर बाजार में उपलब्ध हो गए जिससे इंटरनेट का प्रयोग काफी आसान हो गया। 1996 तक इंटरनेट की लोकप्रियता काफी बढ़ गई। लगभग 4.5 करोड़ लोगों ने इंटरनेट का प्रयोग शुरु कर दिया। ई-कॉम की अवधारण काफी तेजी से फैलती गई। संचार माध्यम के नए-नए रास्ते खुलते गए। नई-नई शब्दावलियां जैसे ई-मेल, वेबसाइट, वायरस आदि इसके अध्यायों में जुड़ते रहे। वर्ष 2000 में इंटरनेट इतनी बढ़ गई कि इसमें कई तरह की समस्याएं भी उठने लगीं। कई नए वायरस समय-समय पर दुनिया के लाखों कम्प्यूटरों को प्रभावित करते रहे। इन समस्याओं से जूझते हुए संचार का क्षेत्र आगे बढ़ता गया। भारत भी अपनी भागीदारी इन उपलब्धियों में जोडता रहा। आज भारत में इंटरनेट कनेक्शनों और प्रयोगकर्ताओं की संख्या लाखों में है। इंटरनेट आधुनिक और उच्च तकनीकी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। ये किसी भी व्यक्ति को दुनियां के किसी भी कोने में बैठे हुए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने की अद्भुत सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम लोग आसानी से किसी एक जगह रखे कम्प्यूटर को किसी भी एक या एक से अधिक कम्प्यूटर से जोड़कर जानकारी का आदन-प्रदान कर सकते है। इंटरनेट के द्वारा हम कुछ सेकेंडों में ही बड़े या छोटे संदेशों, अथवा किसी प्रकार की जानकारी एक कम्प्यूटर या डिजीटल डिवाइस (यंत्र) जैसे टैबलेट, मोबाईल, पीसी से दूसरे डिवाइस में काफी आसानी से भेज सकते है।

इंटरनेट के माध्यम से जीवन आसान हो गया है क्योंकि इसके द्वारा हम बिना घर के बाहर गये ही अपना बिल जमा करना, फिल्म देखना, व्यापारिक लेन-देन करना, सामान खरीदना आदि काम कर सकते है। अब ये हमारे जीवन का एक खास हिस्सा बन चुका है हम कह सकते है कि इसके बिना हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

इंटरनेट का उपयोग

इसकी सुगमता और उपयोगिता की वजह से, ये हर जगह इस्तेमाल होता है जैसे- कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज, बैंक, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्रों पर दुकान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, मॉल और खास तौर से अपने घर पर हर एक सदस्यों के द्वारा अलग-अलग उद्देश्यों के लिए। इससे ऑनलाइन संपर्क तेज और आसान हो गया है जिससे संदेश या वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा दुनिया में कहीं भी लोग एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसकी मदद से विद्यार्थी अपनी परीक्षा, प्रोजेक्ट तथा रचनात्मक कार्यों में भाग लेना आदि कर सकता है। इससे विद्यार्थी अपने शिक्षकों और दोस्तों से ऑनलाइन जुड़कर कई सारे विषयों पर चर्चा कर सकते है। इसकी सहायता से हम लोग विश्व की किसी प्रकार की भी जानकारी प्राप्त कर सकते है जैसे कहीं की यात्रा के लिए उसका पता तथा सटीक दूरी आदि जान सकते है, वहां जाने के साधन आदि। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अभि मॅप (नक्शा) जैसे ॲप मौजूद है जिससे सारी यात्राएं बिना किसी सें पूछ के कर सकते है।

महामारी में इंटरनेट बना "सच्चा साथी"

कोरोना वायरस महामारी से जब दुनिया सिमट गई तो इंटरनेट की दुनिया ने हमारे लिए अवसर के नए-नए दरवाजे खोल दिए। हम इंटरनेट के साथ प्रयोग करते गए और हमारा समय पार होता गया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज की इस सदी में इंटरनेट सबसे अहम चीजों में से एक है। इंटरनेट के बिना ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ कमी सी है। जब पहली बार न्यूज एजेंसियों ने चीन के वुहान में संदिग्ध बीमारी की रिपोर्ट की, तो वह इंटरनेट ही था जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में इस रहस्यमय बीमारी की चर्चा हुई। समय बीतने के साथ चीन से छन छन कर इस बीमारी के बारे में खबरें भी आने लगी। अखबार, टीवी और मैगजीन के बाद इससे जुड़ी जानकारी हमारे व्हाट्सऐप पर भी आने लगी। कुछ भ्रामक और कुछ गलत लेकिन कुछ खबरें असली भी थी। इंटरनेट का सही इस्तेमाल करते हुए इस विषय पर दिलचस्पी रखने वालों ने और गहराई में जानना चाहा और इसके बारे में पढ़ा। समय गुजरता गया और इस रहस्यमय बीमारी का नाम पता चला, कोविड-19, इंटरनेट की मदद से ही दुनिया भर के अरबों लोग

कंप्यूटर और अन्य डिवाइस के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। अमेरिका में रहने वाला कोई छात्र चेन्नई में अपने परिवार को वहां के हालात के बारे में बताता, तो मुंबई में टेक्सटाइल मिल में काम करने वाला प्रवासी श्रमिक अपने गांव में वहां के हालात के बारे में वीडियो कॉल कर जानकारी देता। कोरोना वायरस महामारी के समय में इंटरनेट पर जानकारी की बाढ़ आ गई। कुछ जानकारी तो प्रमाणित थी लेकिन कुछ तथ्य गलत भी थे। खासकर इम्युनिटी बढ़ाने को लेकर तरह-तरह के पोस्ट सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप पर शेयर किए जाने लगे। गुड मॉर्निंग और प्रेरणादायक संदेश की जगह इम्युनिटी मजबूत करने के नुस्खे बताए जाने लगे।

जब लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ ठप हो गया। लोग घर में रहते हुए अपने माता-पिता, भाई-बहन और रिश्तेदारों से वीडियो कॉल और चैटिंग के जरिए संपर्क बनाने लगे। स्मार्टफोन और इंटरनेट के कॉकटेल ने ऐसे लोगों की जिंदगी आसान की जो संकट के समय में परिवार से दूर थे और उन्हें भावनात्मक जुड़ाव की जरुरत थी, ऐसे में वीडियो कॉल कर माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से बात कर उनका मन हल्का हो जाता और वे अजनबी शहर में अकेला महसूस नहीं करते। कोरोना महामारी के दौरान इंटरनेट कई लोगों के लिए लाईफ़लाइन बन गया है। करोड़ों लोगों को घर से काम करने, मेडिकल सेवाएं लेने और एक दूसरे से जुड़े रहने का एकमात्र ज़रिया इंटरनेट ही रह गया। कोरोना वायरस ने इंटरनेट पर हमारी निर्भरता को उजागर तो किया ही है, इसे मानवाधिकार की तरह देखे जाने वाले अभियान को भी प्रोत्साहन दिया है।

दफ्तर का काम जो पहले दफ्तर से ही किया जाता था वह भी घर से करना मुमकिन हो पाया और छुट्टी या फिर दफ्तर का काम खत्म कर लोग घर पर ही मनोरंजन के लिए मनचाहा शो, फिल्म या फिर अन्य मनोरंजन की सामग्री देखने लगे। मोबाइल पर तो इंटरनेट जैसे किसी खजाने से कम नहीं। घर के किसी कोने या फिर बाल्कनी में बैठकर अपनी मनचाही फिल्म या वेब सीरीज देख सकते हैं। जो लोग खाना बनाने के शौकीन हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से खाना बनाना भी सीख रहे हैं।

सिर्फ मनोरंजन ही क्यों, अन्य जरुरी सेवाओं के लिए इंटरनेट हमारे साथ एक सच्चे दोस्त की तरह खड़ा है। फिर चाहे डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह लेनी हो या अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखनी हो। अब तो बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी अपनी तकलीफ दूर करने के लिए डॉक्टर से वीडियो कॉल के जरिए मदद कर सकते हैं। साथ में दफ्तर की बैठकें भी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के बाद इंटरनेट की स्पीड कम हुई है और डेटा की खपत बढ़ी है। इसे देखते हुए नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म ने वीडियो की गुणवत्ता को थोड़ा कम किया है। देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली संख्या 48 करोड़ से ज्यादा है और जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने जब लोगों से घर में ही रहने को कहा तो इंटरनेट उनके लिए मसीहा बनकर सामने आया। एक ही शहर में रहने के बावजूद लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं तो इंटरनेट उन्हें करीब लाया है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो कई कंपनियों का कामकाज चरमरा जाता लेकिन वीडियो कॉल ने ऐसा होने नहीं दिया। बीते कुछ दिनों में लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ वीडियो चैट के स्क्रीन शॉट साझा किए हैं। इससे यह बात साबित होती है कि जब कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए सामाजिक दूरी का नियम अपनाया जा रहा है तब इंटरनेट लोगों को आपस में जोड़ रहा है। व्हाट्सएप, फेसटाइम, फेसबुक मेसेंजर जैसी ऐप के अलावा जूम नई ऐप भी लोगों का अपनी ओर ध्यान खींच रही हैं। मुंबई में एक एनजीओ के साथ काम करने वाली श्रुति मेनन के लिए भी इंटरनेट काफी मददगार साबित हुआ है। वह मार्च के पहले हफ्ते से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने सहकर्मियों के साथ समन्वय कर रही हैं। कई अस्पताल ऑनलाइन परामर्श दे रहे हैं। डॉक्टर और मरीज के बीच वीडियो सत्र होते हैं। दवा का ई-पर्चा देते हैं और परामर्श शुरु होने से पहले फीस का भुगतान करना होता है। इसके अलावा लोग एक दूसरे के साथ ऑनलाइन गेम्स, खासकर लूडो भी खेल रहे हैं, जिसमें भाग लेने वाले लोग देश के किसी भी हिस्से के हो सकते हैं। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीओएआई के महानिदेशक रंजन मैथ्यू ने बताया कि इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ने से देश में डेटा की खपत में कम से कम 20-30 फीसदी का इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए, नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसे प्लेटफार्म ने वीडियो गुणवत्ता को कम किया है। इस बाबत सीओएआई ने सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि नेटवर्क पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए उपाय किए जाएं। बेंगलुरु स्थित मर्सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसायटीफ के गुरशबद ग्रोवर का कहना है कि देश में इंटरनेट का तंत्र ऐसा नहीं है जो चरमरा जाए।

स्कूल की शिक्षा भी अब इंटरनेट के माध्यम से दी जा रही है और इसके लिए परिवार पर घर में लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन खरीदने का दबाव है। कई लोग स्मार्टफोन तो खरीद लेते हैं लेकिन हर महीने इंटरनेट डाटा खरीदना पड़ता है। कोरोना काल से पहले अभिभावक इस खर्च से बच जाते थे। गांव और सुदूर इलाकों में इंटरनेट से जुड़ना अभी भी बड़ी चुनौती है। धारणा बन गई है कि स्कूलों के बंद रहने के बीच ऑनलाइन पढ़ाई एक अच्छा विकल्प बन गई है, लेकिन असल में ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बेहद सीमित है।

निष्कर्ष – इससे ऑनलाइन संपर्क तेज और आसान हो गया है जिससे संदेश या वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा दुनिया में कहीं भी मौजूद लोग एक-दूसरे से जुड़ सकते है। इसकी मदद से विद्यार्थी अपनी परीक्षा, प्रोजेक्ट, तथा रचनात्मक कार्यों में भी भाग ले सकते हैं। इससे विद्यार्थी अपने शिक्षकों और दोस्तों से ऑनलाइन जुड़कर कई सारे विषयों पर चर्चा कर सकते है। इंटरनेट की सहायता से हम लोग विश्व की किसी प्रकार की भी जानकारी मात्र चंद सेकेंडों में प्राप्त कर सकते है। वास्तव में इंटरनेट ने मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया है।

शैलेश बापट
क्षेत्रीय रेल प्रबंधक,
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रत्नागिरी

कविता

दीप स्तंभ

दीपस्तंभ हमारे कितने विशाल कितने न्यारे!
रहते सदा सागर मध्य और सागर किनारे,

दीपस्तंभ हमारे कितने विशाल कितने न्यारे!
सहज समुद्री परिवहन मे सहयोगी सारे,

दीपस्तंभ हमारे कितने विशाल कितने न्यारे!
फैलाते दूर क्षितिज मे सार्थक उजियारे,

दीपस्तंभ हमारे कितने विशाल कितने न्यारे!
विकट तूफ़ानी हालातों मे भी रह कर अडिग देते सटीक सिग्नल सारे,

दीपस्तंभ हमारे कितने विशाल कितने न्यारे!
देश के सागरी सुरक्षा तंत्र मे हैं सहयोगी सारे,

दीपस्तंभ हमारे कितने विशाल कितने न्यारे!
हर मौसम मे दिन रात रहें नाविकों की आँखों के तारे,
दीपस्तंभ हमारे कितने विशाल कितने न्यारे!

ललित प्रकाश
दीपस्तंभ एवं डीजीपीएस कार्यालय

भारतीय शेयरबाजार को खुदरा निवेशकों का सहारा!

खुदरा निवेशक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो गैर-पेशेवर निवेशक होता है एवं इक्विटी शेयर, कमोडिटी कांट्रैक्ट, म्यूचुअल फ़ंड, ईटीएफ़ आदि प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री करता है। सेबी के अनुसार खुदरा निवेशक वह व्यक्ति होता है जो की आईपीओ में दो लाख रुपये तक का आवेदन करता है अथवा किसी स्टॉक में दो लाख रुपये तक का निवेश करता है।

शेयर बाजार से तात्पर्य स्टॉक एक्स्चेंज के माध्यम से उपलब्ध कराए गए उस प्लैटफ़ार्म से है, जहां सार्वजनिक कंपनियों के शेयर जारी किए जाते हैं, खरीदे या बेचे जाते हैं। शेयर बाजार जहां एक तरफ निवेशकों को सार्वजनिक कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने का अवसर प्रदान करता है, वहीं यह कंपनियों को अपने कारोबार के लिए पूंजी जुटाने का मंच प्रदान करता है। यहाँ निवेशक शेयर के साथ-साथ बॉन्ड भी खरीद व बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इस में दो प्रमुख स्टॉक एक्स्चेंज बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई) शामिल हैं। बीएसई को औपचारिक रुप से 1956 में और एनएसई को 1992 में स्थापित किया गया था। जनवरी 2024 की अपनी रिपोर्ट में ब्लूमबर्गने भारतीय शेयर बाजार को वैश्विक स्तर पर चौथे बड़े इक्विटी बाजार के रुप में स्थान दिया है।

मभले ही कुछ पैसे कम मिलें, लेकिन मूल सलामत रहेफकी सोच के साथ एक आम भारतीय निवेशक परंपरागत रुप से अपनी बचत के लिए बैंक जमा या अन्य सरकारी योजनाओं में निवेश को प्राथमिकता देता आया है। उसे निवेश के ये विकल्प सुरक्षित लगते रहे हैं। शेयर बाजार की अस्थिरता और जटिलता के कारण वह इसमें कम रुचि लेता आया है। हालांकि, बदलते समय के साथ इस सोच में बदलाव भी दिखाई दे रहा है। आज भारतीय, विशेषकर युवा निवेशक शेयर बाजार में निवेश करने में संकोच नहीं कर रहा है। वह निवेश के पारंपरिक तरीकों से इतर जोखिम उठाने को तैयार है। भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारतीय इक्विटी पूंजी बाजार के प्रदर्शन ने अधिक से अधिक निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश के लिए आकर्षित किया है।

शेयर बाजार में निवेश करना काफी जोखिम भरा माना जाता है। इसे एक विशेषज्ञता वाला क्षेत्र माना जाता है, जिसके तेज उतार-चढ़ाव को सहना आम आदमी के लिए आसान नहीं है। शेयर बाजार बहुत संवेदनशील होते हैं। इसे कंपनियों के वित्तीय परिणामों के अलावा कई आर्थिक एवं मौद्रिक कारक जय- महंगाई, ब्याज दरें, मुद्रा आपूर्ति, लिक्विडिटी आदि प्रभावित करते हैं। बाजार की दिशा एवं दशा तय करने में राजनीतिक कारण जैसे चुनाव एवं चुनी गई सरकार की नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज भारत विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है, इस तथ्य एवं वैश्वीकरण के चलते भारतीय बाजार तमाम भू-राजनीतिक एवं आर्थिक घटनाक्रमों के प्रति संवेदनशील बने रहते हैं। विभिन्न स्त्रोतों से यह सूचना प्राप्त करना एवं उसके प्रभाव का आंकलन करना बड़ा एवं दुरुह कार्य है, जिसमें निसंदेह विदेशी संस्थागत निवेशक अग्रणी रहते हैं। इसीलिए भारतीय शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की प्रतिभागिता सीमित ही रही है। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में इस स्थिति में तेजी से परिवर्तन आया है।

तकनीक के विकास ने भी शेयर बाजार में निवेश को आसान बना दिया है। विभिन्न ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐपने बाजार की प्रवेश बाधाओं को एक हद तक समाप्त कर दिया है। अब घर बैठे मोबाइल के जरिए किसी भी व्यक्ति के लिए शेयर खरीदना और बेचना बेहद आसान हो गया है। तकनीक, बढ़ती वित्तीय साक्षरता, बाजार के शानदार प्रदर्शन और फोमो (फियर ऑफ मिसिंग आउट) ने बाजार में खुदरा निवेशकों की सहभागिता को बहुत तीव्र गति से बढ़ाया है। जहां देश में मार्च 2020 में डीमैट खातों की संख्या मात्र 4.09 करोड़ थी, वह जून 2024 में 16 करोड़ को पार कर चुकी है। इसमें चालू वित्त-वर्ष में प्रति माह औसतन 34 लाख खातों की वृद्धि देखि जा रही है।

खुदरा निवेशक और उनकी भूमिका

परंपरागत रुप से भारतीय बाजार में एफ़पीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों) का दबदबा रहा है एवं डीआईआई यानि घरेलू संस्थागत निवेशक संतुलक की भूमिका में रहे हैं, वहीं खुदरा निवेशक की भूमिका नगण्य-सी रही है। लेकिन गत कुछ वर्षों में खुदरा निवेशक तीसरी शक्ति बनकर उभरे हैं। एक तरफ जहां ये सीधे स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, वहीं म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के माध्यम से इनके निवेश का बहुत बड़ा हिस्सा बाजार में आ रहा है। जून 2024 में सिप इनफ़्लो रु. 21,262.22 करोड के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है। इस मजबूत इनफ़्लो के दम पर हमारे म्यूचुअल फंड्स का आकार रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि हाल ही में हमारा एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड 10 लाख करोड़ के एयूएम स्तर को पार करनेवाला पहला भारतीय म्यूचुअल फ़ंड बन गया है। अलग-अलग स्त्रोतों के माध्यम से, बाजार के दैनिक टर्नओवर में 45 से 52 हिसा खुदरा निवेशकों का है। खुदरा निवेशकों की बढ़ती सक्रियता ने भारतीय शेयर बाजार की महत्वपूर्ण वृद्धि में योगदान दिया है।

वर्ष 2022 एवं 2023 के दौरान एफ़आईआई के आउटफ्लो के बावजूद निफ्टी ने सकारात्मक रिटर्न दिए हैं।

डीमैट खातों की बढ़ती संख्या, मजबूत एसआईपी इनफ्लो ने बाजार में जबर्दस्त लिक्विडिटी प्रदान की है। पिछले 2-3 वर्षों में कंपनियों/प्रमोटरों ने बाजार से आईपीओ, एफ़पीओ, ब्लॉक डील्स के माध्यम से रिकॉर्ड मात्रा में पूंजी जुटाई है। वर्ष 2021 मे 63 आईपीओ के माध्यम से सर्वाधिक रु.119,882 करोड़ की राशि जुटाई गई। इनमें से एलआईसी, पेटीएम, ज़ोमाटो आदि आईपीओ एवं वोडाफोन एफ़पीओ उल्लेखनीय हैं। सिस्टम से इतनी मात्र में लिक्विडिटी निकालने के बावजूद भी बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी है।

परंपरागत रुप से भारतीय खुदरा निवेशक बैंक जमा जैसे सुरक्षित विकल्प को प्राथमिकता देता आया है। लेकिन अब उसकी प्रवृत्ति में स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित होता है। अधिक रिटर्न के लिए वह इक्विटी जैसे जोखिमपूर्ण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए मानसिक रुप से तैयार है।

खुदरा निवेश का एक प्रमुख चरित्र है निवेश में विविधता एवं बाजार का लोकतांत्रीकरण। जितनी ज्यादा संख्या में निवेशक मतलब उतना निवेश में विविधिकरण एवं उतनी अच्छी प्राइस डिस्कवरी। एक तरफ जहां खुदरा निवेशक बाजार में लिक्विडिटी प्रदान कर रहे हैं वहीं वे केन्द्रीकरण के कारण निर्मित जोखिम को कम करके बाजार को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं।

खुदरा निवेशकों के सामने चुनौतियां

सेबी के एक अध्ययन में यह बात उभरकर सामने आई है कि 89% खुदरा निवेशक इक्विटी फंडों में घाटे का सामना कर रहे हैं। यह कथन इनके सामने आ रही चुनौतियों के बारे में बताने के लिए पर्याप्त है। बढ़ती वित्तीय साक्षरता के बावजूद खुदरा निवेशकों के पास वित्तीय एवं बाजार संबंधी जानकारी सीमित रहती है। जैसा कि पूर में भी उल्लेख किया गया है, खुदरा निवेशक जानकारी एवं संसाधनों के मामले में संस्थागत निवेशकों से पिछड़ जाते है। जानकारी की कमी का परिणाम प्राय: वित्तीय नुकसान के रुप में सामने आता है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आजकल सोशल मीडिया पर शेयर बाजारों में निवेश संबंधी जानकारी एवं सलाह देने वाले, जिन्हें फिन्फ़्लुएन्सर भी कहा जाता है, की बाढ़-सी आई हुई है। कई बार ऐसी जानकारी की कोई प्रामाणिकता या आधार नहीं होता है। यह भी देख गया है कि खुद शेयर बाजार में हानि उठाने वाले व्यक्ति दूसरों को ऑनलाइन निवेश करने का ज्ञान दे रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरुप नए निवेशक झांसे में आकर गलत निर्णय कर बैठते हैं और हानि उठाते हैं। अत: निवेश जानकारी को प्रामाणिक स्त्रोतों से सत्यापित करना आवश्यक है। खुदरा निवेशकों के पास बहुत सीमित पूंजी होती है। बहुत महंगे स्तर पर निवेश करने पर कम रिटर्न अथवा पूंजी खोने की संभावना होती है।

खुदरा निवेशक पोर्टफोलियो में विविधता लाना पसंद करते हैं। हालाँकि, बहुत अधिक विविधीकरण से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी कम हो जाती है। प्राय: लोगों को किसी विशेष स्टॉक विशेष से लगाव होता है, जो कभी-कभी पैनी स्टॉक या तेजी से गिरता हुआ स्टॉक हो सकता है, और ऐसे स्टॉक के बुनियादी पक्षों का विश्लेषण किए बिना इन शेयरों में निवेश करना जोखिम भरा हो सकाता है।

खुदरा निवेशकों की बढ़ती सहभागिता का दूसरा पहलू है डेरिवेटिव टर्न ओवर वॉल्यूम्स में हुई बेतहाशावृद्धि। जिस पर समय-समय पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं सेबी के प्रतिनिधियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही विदेशी मीडिया एवं वित्तीय संस्थानों (बैंक ऑफ अमेरिका, ब्लूमबर्ग) आदि ने भी इसे प्रमुखता से कवर किया है। ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर जो 2018 में 4.5 लाख करोड़ था 2024 तक वह बढ़कर 140 लाख करोड़ पहुंच गया है। वहीं कुल डेरिवेटिव टर्नओवर पिछले 6 वर्षों में 210 लाख करोड़ से बढ़कर 500 लाख करोड़ हो गया है। कोविड़ से पहले फ्यूचर एवं ऑप्शन टर्नओवर इक्विटी कैश टर्नओवर का 32 गुना था जो हाल ही में बढ़कर 441 गुना हो चुका है। डाटा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि बाजार में स्पेक्यूलेशन किस स्तर तक पहुँच गया है। सेबी अध्यक्ष ने भी इस विषय में चिंता व्यक्त की है कि जो घरेलू बजत इक्विटी, बॉन्ड अथवा बैंक जमा के माध्यम से पूंजी के रुप में विकास हेतु इस्तेमाल होनी चाहिए थी वह सट्टेबाजी (स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़) में लग रही है। विशेष रुप से नए निवेशकों को निवेश एवं सट्टेबाजी में अंतर समझने की आवश्यकता है।

भारतीय शेयर बाजार के विनियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) खुदरा निवेशकों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा के मापदंडों को लगतार मजबूत कर रही है। साथ ही, सेबी की ओर से खुदरा निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये कदम निवेशकों को बेहतर सुरक्षा, पारदर्शिता और निवेश के अवसर प्रदान करने से संबंधित हैं। इंवेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड (आईपीईएफ़) की स्थापना की गई है, जो निवेशकों को वित्तीय उत्पादों और निवेश संबंधित जानकारी प्रदान करता है। स्कोर (सेबी कंपलेंट रिड्रेसल सिस्टम) के नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरुआत की गई है, जहां निवेशक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उनका शीघ्र निवारण पा सकते हैं। इसके अलावा शेयरों की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए सेबी ने प्राइस बैंड और सर्किट फिल्टर्स लागू किए हैं, जिससे अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित

किया जा सके। इनसाइडर ट्रेडिंग और अन्य धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों की रोकथाम के लिए भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। खुदरा निवेशकों को डेरिवेटिव्स के जोखिमों से भी सावधान करने के लिए सेबी ने सभी ब्रोकिंग हाउसेस को अनिवार्य रुप से लॉगिन के पश्चात खास चेतावनी को दर्शाने का निर्देश दिया है।

खुदरा निवेशक बाजार की तरलता, स्थिरता और समग्र बाजार विकास में योगदान देकर भारतीय शेयर बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं एवं आज वे बाजार की एक प्रमुख ताकत हैं। उनकी बढ़ती भागीदारी वित्तीय बाजारों के लोकतंत्रीकरण और तकनीकी प्रगति के सकारात्मक प्रभाव का प्रमाण है। हालांकि वे कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, फिर भी बाजार पर उनके सामूहिक प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता है। जैसे-जैसे वित्तीय पारिस्थितीकी तंत्र विकसित होता जा रहा है, खुदरा निवेशकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है, जो भारतीय शेयर बाजार के भविष्य को आकार दे रही है।

अनिल कुमार
भारतीय स्टेट बैंक

कविता

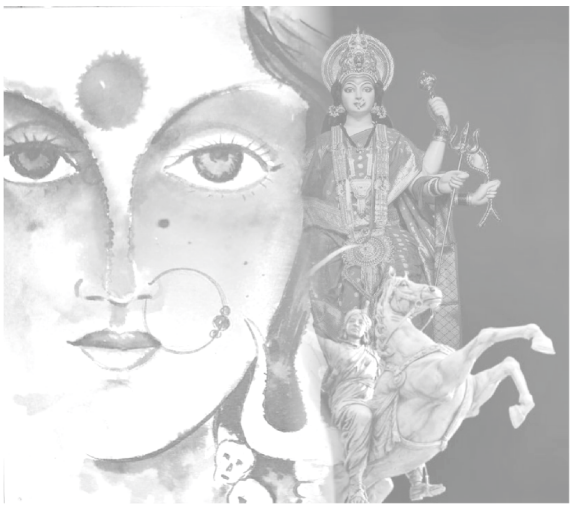

।। नारी तू नारायणी ।।

नारायणी का रुप है तू नारी
माँ के रुप में है तू न्यारी
बेटी के रुप में है निराली
पत्नि के रुप में है प्यारी।

दूर्गा का रुप धारण कर बन जाती है महिषासुरमर्दिनी
चंडी का रुप ले कर हो जाती है पाप विनाशिनी
काली के रुप में काल - रुपिणी
शक्ति बन के शक्ति प्रदायिनी

नारी है तू नारायणी। नारी है तू नारायणी।
झांसी की रानी सी है वीर तू
इंदिरा सी है धैर्यवान
कल्पना सी है साहसी तू

सरोजिनी सी है गुणवान
लता जी सी है सूरों की तान
नारी तू है सबसे कर्तृत्ववान
सारा जग गाए तेरा गुणगान

क्योंकि तू ही है सारे जगत में महान
हे नारी, तू ही है सारे जगत में महान।

श्रीमती दर्शना ढेपसे
आकाशवाणी

ऑनलाईन कारोबार

इक्कीसवीं सदी का यह युग संगणक युग के रुप में जाना जाता है। आज के युग में सभी व्यवहार ऑनलाइन होते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इंटरनेट के बगैर जीवन की कल्पना मात्र असहनीय प्रतीत होती है। इंटरनेट ने हमारे जीवन स्तर को बेहद खुशहाल और बेहतर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसके माध्यम से कई सुविधाओं का लाभ केवल लैपटॉप या फोन के माध्यम से हम उठा सकते है।

ऑनलाइन खरीदारी, रेल, प्लेन या बस का टिकिट जैसे कई काम हम हर जगह घंटों कतार में खड़े रहकर और समय की बर्बादी कर करते थे, अब इंटरनेट की सुविधा से मिनटों में करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से कोविड 19 कार्य आपातकाल में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से करने की वजह से छात्रों का सुनहरा भविष्य हम सुरक्षित रखने से कुछ प्रतिशत ही सही, पर सफल है। कल्पना कीजिये की अगर इंटरनेट ना होता तो शिक्षा का भविष्य, छात्रों का भविष्य कितना असुरक्षित हो जाता है। यदि हम मार्केट स्थिती की ओर नजर डाले तो लगभग 80% दुकानदार कोई भी उत्पाद को खरीदने से पहले सेवा लेने से पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं। बड़े शहरों के ग्राहक ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहक भी बिना सर्च के कोई भी खरीदारी नहीं करते। इसमें सभी उम्र के लोग शामिल हैं। यही कारण है कि किसी भी कंपनी या बिजनेस के लिये डिजिटल मार्केटिंग अति महत्वपूर्ण हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है?

डिजिटल मार्केटिंग यह एक ऐसा माध्यम है जिस के द्वारा हम किसी भी उत्पाद या सेवा को ऑनलाइन प्रमोट कर बेच या खरीद सकते है। इस समय लोग बहुत अधिक मात्रा में ऑनलाइन सर्च करते हैं, चाहे कोई वस्तु या सेवा खरीदनी चाहे मनपसंद के ब्रांड हो कपड़े हो या केक, रसोई में युक्त सामग्री हो या किराणा सामग्री, सब्जीयाँ हो या घर में युक्त टी. वी., फ्रीज या वाशिंग मशीन जैसे जरुरत ही हर वस्तु हेल्थ मशीन्स हो या दवाई सभी चीजे देख परखकर शोध करके ही ली जाती है।

अधिकतर सेवाओं को डिजिटल माध्यम से ही पाने का प्रयास किया जाता है। जन्म से लेकर शादी और मेडिकल सुविधा से जीवन के अंत तक सफर पूर्ण करने की बिक्री और खरीदारी डिजिटल माध्यम से की जाती है। अपनी सेवाओं और उत्पादों को डिजिटल स्त्रोत के माध्यम से ऑनलाइन बेचना ही डिजिटल मार्केटिंग है, जिसमें इंटरनेट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन तरीका नये ग्राहकों तक पहुँचने का सबसे प्रभावी माध्यम, सबसे सस्ता माध्यम है। 1980 में डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत हुई पर कामयाब न हो पाई। 10 वर्ष के बाद यानी 1990 में फिर पहल ही गई और आज कामयाबी का सफर डिजिटल मार्केटिंग ने तय किया है। चाहे अकेला व्यापारी हो या गृह उद्योग चलानेवाला छोटा उद्योगपति, बड़ा उद्योगपति हो, अभी तो इंटरनेशनल उद्योगपति को भी अपनी सेवा को कम अवधी में अधिक से अधिक सही ग्राहकों के पास पहुंचाने में डिजिटल मार्केटिंग ने आसान किया है। हमारे जीवन में डिजिटल मार्केटिंग का महत्व क्या है? यह सवाल जरुर उत्पन्न होता है। इस आधुनिक संगणक युग में बने रहने के लिए हमें नये तौर तरीके अपनाना, नये तंत्रज्ञान को आत्मसात करने की आवश्यकता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो परिवर्तनशील रहा वही टिका रहा। समय का पहिया अपनी रफ्तार को कम नहीं करता और आज लोगों के पास समय भी कम है। अपने स्नेही जनों से मिलने का समय निकालना है, तो खरीदारी भी दुकान में जाकर करना कष्टप्राय होता है। ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग बहुत सुकून देती है। डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग सोशल नेटवर्किंग साइटस् के द्वारा किसी भी व्यक्ति को सक्षम बनाता है। इसी वजह से अधिक सुविधा, प्रभावी लागत और समय को देखते हुए डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग व्यवसायी और ग्राहक दोनों को अत्यधिक सुविधा के साथ काम करने के लिए सक्षम बनाता है। लोग अपनी व्यवसाय के उत्पादों को सेवा की बिक्री को बिना बाजार में जाए भी बढ़ा सकते है। कुछ भी गूगल करो और पाओ, जो आप पाना चाहते है। संक्षिप्त में यही है डिजिटल मार्केटिंग जो आपका समय बचाना है, पैसा बचाता है। प्रभावपूर्णता बढ़ाता है। योग्य परिणाम देता है और बेचने तथा खरीदारी मनपसंद होने का समाधान भी देता है। तभी तो हम कह सकते है कि डिजिटल मार्केटिंग ही एकमात्र ऐसा स्त्रोत है, जिसके माध्यम से बेहतर परिणाम, कम खर्च और कम समय में लाए जा सकते है। वर्तमान और भविष्य में डिजिटल मार्केटिंग हमने पिछले कई सालों में बहुत से बदलाव देखे है। एक वक्त था जब सेवा या वस्तु इंटरनेट की सुविधा और डिजिटल मार्केटिंग की उपलब्धता से हम जो चाहे सेवा, जो चाहे वस्तु जब चाहे पा सकते हैं।

इंटरनेट ने दुनिया में रह रहे लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का अद्भूत मंच प्रदान किया है। जो कि पहले बस सपना ही था। पर यह सपना इंटरनेट ने सच कर दिखाया है। इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से विक्रेता एवं उपभोक्ता, ग्राहकों के मध्य उत्तम वार्तालाप से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग की प्रभावशीलता उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के रुप में दिखती है। पहले निर्मित उत्पादन काफी समय तक गोदामों में पड़े रहते थे और सह भी जाते थे क्योंकि उनकी बिक्री में लंबा समय व्यतीत होता था। निर्मित उत्पादनों का विज्ञापन ऑफलाइन किया जाता था जो बहुत महंगा साबित होता था और सभी लोगों तक पहुंचने में भी काफी समय लगता था। इन दिनों में गूगल, फेसबुक,

इंस्टाग्राम, वॉट्सअॅप, यू ट्युब तथा अन्य मार्केटिंग एप के कारण उत्पाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम से कम समय में पहुंचता है। ऑनलाइन वितरण के कारण उत्पाद को सही लोगों तक पहुँचाना तथा भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है।

मूल्य वापस, सुविधाजनक, प्रतिस्थापना, वापसी नीति के साथ उत्पादन की विश्वसनीयता भी बढ़ती है और बेचना और खरीदना और भी आसान हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक बात बहुत ही कारागर है। जो दिखता वही बिकता है। लोग इन दिनों इतने ज्यादा जागरुक है कि कोई भी व्यापारी ठग नहीं सकता क्यों कि उसे भी उपभोक्ता मंच का भूत डरात है। इसलिए गलत जानकारी देना अब आसान नहीं है। सायबर नीति की सहायता से सच्चे झूठे प्रोफाईल पर रोक लगा सकता है। आने वाले समय में भी व्यवसाय सेवा ऑनलाइन है। दृश्यता तथा दक्षता पर आधारित रहेगा। नूतनीकरण, तंत्रज्ञान और आधुनिकीकरण की वजह से लोगों को सही समय पर सही जानकारी मिलना आम है।

डिजिटल मार्केटिंग के विविध पहलू

कोई भी डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट सुविधा के बिना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसे इंटरनेट मार्केटिंग भी कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के विविध पहलू है, सारांश में तकनीकी तथा गैर तकनीकी गतिविधियों का निचोड़ इस तरह है।

1) सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) :- यह एक ऐसा प्रौद्योगिकीय स्त्रोत है जिसमें वेबसाइट को सर्व इंजन के द्वारा सही की वर्ड का उपयोग करते हुए ऑप्टिमाइज किया जाता है। एसईओ बहुत सारी ऑन पेज और ऑफ पेज गतिविधियों का जोड़ है जो वेबसाइट को सर्च इंजन फर्स्ट पेज पर लाने में मदद करता है। इसका काम वेबसाइट की संपूर्ण अभिनय को बढ़ाने में मदद करना है।

2) सोशल मिडिया ऑप्टिमाइजेशन (एसएमओ) :- सोशल मीडिया ऐसा एकमात्र स्त्रोत है जिसके माध्यम से बहुतायत में लोगों से फेसबुक, लिंक्ड इन, ट्विटर, प्रिंटरेस्ट और ऐसे बहुत से साईट्स द्वारा जुड़े रहने का मौका मिलता है। ये सारी साईट्स अब व्यवसाय की सफलता एवं मार्केटिंग के लिए उपयुक्त है। विज्ञापनदाता अपने अपने व्यवसाय के उत्पादनों और सेवाओं को आकर्षक विज्ञापनों की सहायता से प्रचार करते हैं। उपयोगकर्ती को कुछ समय पश्चात ये विज्ञापन दिखते हैं। कम लागत में अधिक लोगों तक पहुँचने का यह आसान तरीका है।

3) ई मेल मार्केटिंग :- इसका कार्य कंपनी के उत्पादों की जानकारी अपने मेल के इनबॉक्स में पाना है। जब भी कोई कंपनी अपने नये उत्पाद या सेवा को प्रारंभ करती है, या कोई नया ऑफर निकालती हैं, वो ये सारी जानकारी ग्राहकों को मेल द्वारा पहुँचाना उचित समझती हैं क्यों कि इससे कम समय में काफी लोगों तक पहुँचना आसान होता है।

4) वीडियो प्रचार :-अगर हम वीडियो द्वारा प्रचार की बात करे तो यू ट्युब एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा उत्पादों और सेवाओं का अच्छी तरह प्रचार किया जा सकता है। यू ट्युब पर विज्ञापन दिखाने से या यू ट्युब पर प्रचार करने से दर्शकों तथा ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

5) पे-पर क्लिक :- (पीपीसी) ऑर्गेनिक परिणाम में थोड़ा सा वक्त लगता है, पर पीपीसी एक ऐसा स्त्रोत है जिसके द्वारा कोई भी मार्केटर हर क्लिक के भुगतान पर तुरंत एक व्यावसायिक लीड ले सकता है। ये मापांक हर क्लिक पर कुछ भूगतान ले लेता है। इसके द्वारा आये व्यवसाय को मापना आसान है। शुरुआती व्यापारी इस सेवा का ही उपयोग करते है, ताकि तुरंत लीड मिल सके और व्यापार भी विकसित हो।

6) ऑनलाईन रेप्युटेशन मैनेजमेंट :-(ओआरएम) वेबसाईट को बनाना और इस ऊपर स्थिति में लाना ही काफी नहीं है। संपूर्ण सकारात्मक, ऑनलाईन दृश्यता भी होना जरुरी है। एक नकारात्मक समीक्षा या प्रतिक्रिया वेबसाइट के स्तर को गिरा सकती है। इसलिए ओआरएम की सेवाओं की जानकारी भी होना जरुरी है। क्योंकि ये सकारात्मक रुप से व्यवसाय को ब्रांड बनाने में सहायता करती है।

7) एप्प मार्केटिंग (एएम) :- एप ही एकमात्र ऐसा स्त्रोत है जिसके द्वारा आप किसी के भी मोबाइल फोन में काफी लंबे समय तक रह सकते है। आप एप का उपयोग दिन ब दिन बढ़ रहा है कोई कंपनी समूह हो जाती है तब वह अपना एप बनावाती है और इसके द्वारा ही व्यवसाय का प्रचार करती है और व्यवसाय भी करती है। जैसे अमेजान, फ्लीपकार्ट, पेटीएम ऑनलाइन मार्केटिंग इस युग में सबसे अधिक प्रभावशाली है, पर कुछ खामियाँ भी है। जो भी आप ऑनलाइन करे, आशा करनी चाहिए कि हम नैतिकता के रास्ते पर ही चले ताकि लंबे समय तक भरोसा बनाया जा सके। उपभोक्ता ने भी अपने सद्सद्विवेक बुद्धी का ज्ञान रखकर ही खरीदारी करें। हरेक ऑनलाइन व्यावसायिक का नैतिक फर्ज है कि विश्वसनीयता बनाये रखें जिससे ग्राहक उसका विज्ञापन देखते ही उत्पादन खरीदें।

राजेश जोशी
कोंकण रेलवे, रत्नागिरी

एलोरा का कैलाश मंदिर

हिंदू धर्म में भगवान और मंदिरों का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ही इस सृष्टि का संचालन करते हैं। उनकी ही इच्छा से धरती पर सबकुछ होता है। वैसे तो हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान हर जगह मौजूद है, लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी है कि यहां जगह-जगह आपको अलग-अलग देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे। ऐसा सदियों से चला आ रहा है कि लोग अपनी श्रद्धा से मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किसी अजूबे से कम नहीं हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को बनने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा था और इसके निर्माण में करीब 7000 मजदूर लगाए गए थे।

एक कथा के अनुसार, अलाजपुरा (वर्तमान महाराष्ट्र के अमरावती जिले का आधुनिक एलीचपुर) के एक राजा, पिछले जन्म

कैलाशनाथ शिखर का हवाई दृश्य

में किए गए पापों के कारण एक असाध्य बीमारी से पीड़ित थे। एक बार राजा शिकार पर महिसमाला (एलोरा के पास म्हाई-समाला) गए। राजा के साथ शिकार पर गई रानी ने भगवान घृष्णेश्वर की पूजा की और यह प्रतिज्ञा की कि यदि राजा की बीमारी ठीक हो गई, तो वह भगवान शिव के सम्मान में एक मंदिर बनवाएँगी। राजा ने महिसमाला के तालाब में स्नान किया जिसके बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई। रानी बहुत खुश हुईं और उन्होंने राजा से तुरंत मंदिर बनवाने की मांग की, ताकि वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकें।

रानी ने मंदिर के शिखर के दर्शन होने तक उपवास रखने का निर्णय लिया। राजा मान गए, लेकिन इतने कम समय में मंदिर को पूरा करने के लिए कोई भी वास्तुकार तैयार नहीं हुआ। औरंगाबाद के एक स्थानीय पैठण, कोकसा ने यह चुनौती स्वीकार की और राजा को वचन दिया कि रानी एक सप्ताह में शिखर को देख सकेंगी। कोकसा ने अपने साथियों के साथ मिलकर, शैल मंदिर को तराशना शुरु किया ताकि एक सप्ताह के भीतर, वह शिखर की नक्काशी पूरी कर सकें और राजा-रानी को उनकी व्यथा से मुक्त कर सकें। रानी के सम्मान में मंदिर का नाम मणिकेश्वर रखा गया और राजा ने एक शहर, एलापुर (आधुनिक एलोरा) का निर्माण किया।

यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की गुफाओं में है, जिसे एलोरा के कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य मालखेड स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण (प्रथम) (757-783 ई.) ने शुरु करवाया था। माना जाता है

कैलाशनाथ मंदिर

कि इसे बनाने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा था 276 फीट लंबे और, 154 फीट चौड़े इस मंदिर की खासियत ये है कि इसे केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। ऊंचाई की अगर बात करें तो यह मंदिर किसी दो या तीन मंजिला इमारत के बराबर है। मंदिर के भीतर और बाहर चारों ओर मूर्ति-अलंकरणों से भरा हुआ हे। इस मंदिर के आँगन के तीन ओर कोठरियों की पाँत थी जो एक सेतु द्वारा मंदिर के ऊपरी खंड से संयुक्त थी। अब यह सेतु गिर गया है। सामने खुले मंडप में नन्दी है और उसके दानों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हैं। यह कृति भारतीय वास्तुशिल्पियों के कौशल का अद्‌भुत नमूना है। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर से लोग आते हैं।

कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में करीब 40 हजार टन वजनी पत्थरों को काटा गया था। मंदिर के निर्माण के दौरान हटाए गए कई टन पत्थर कहाँ गए, यह अब तक एक पहेली ही है। बची हुई चट्टानों के कहीं फेंके जाने का भी हमें कोई सबूत नहीं मिलता। चट्टानें कहाँ गईं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास अब भी कोई भरोसेमंद स्त्रोत मौजूद नहीं है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका रुप हिमालय के कैलाश की तरह देने का प्रयास किया गया है। कहते हैं कि इसे बनवाने वाले राजा का मानना था कि अगर कोई इंसान हिमालय तक नहीं पहुंच पाए तो वो यहां आकर अपने आराध्य भगवान शिव का दर्शन कर ले। इस मंदिर में आज भी कोई पुजारी नहीं है और कोई पूजा नहीं होती। यूनेस्को ने 1983 में ही इस जगह को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है।

अभिनव कुमार सिंह
पवन गुब्बारा वेधशाला, रत्नागिरी

वाचन संस्कृति

घंटों ऑनलाइन चैट करने वाले आज के युवा सोशल मीडिया के आदी हो चुके हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ज्ञान है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस प्रतिस्पर्धी युग में यदि कोई किसी भी क्षेत्र में जीवित रहना चाहता है, तो उस क्षेत्र में ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी आप उस क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं। हमारे पास एक लोकप्रिय कहावत है 'नॉलेज इज पावर'। अर्थात यदि आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी आप प्रतियोगिता के युग में जी सकेंगे। पढ़ने का क्रेज होना चाहिए, तभी पढ़ने की संस्कृति विकसित होगी और इसका उपयोग एक बेहतर युवा पीढ़ी के निर्माण में होगा। ज्ञान की इस शक्ति से मनुष्य अपने विवेक को जोड़ता है और गहरा करता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी कार्य संस्कृति को प्रभावित करता है।

हर क्षेत्र से शिकायत की जा रही है कि पिछली पीढ़ी की तुलना में वर्तमान पीढ़ी का पढ़ना कम है। स्वाभाविक रुप से मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया और आसपास के माहौल की वजह से अगर परिवार में पढ़ने का काम हो जाए तो बच्चों में पढ़ने के प्रति लगाव पैदा होगा। लेकिन अगर घर में विपरीत माहौल होगा तो बच्चों में पढ़ने की रुचि कैसे पैदा होगी? इसके लिए मुख्य रुप से माता-पिता को बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि पहले लोग सुबह चाय के साथ अख़बार पढ़ते थे। उनका दिन अख़बार पढ़े बिना शुरु नहीं होता था; लेकिन अब समय के साथ स्थिति बदल गई है। पहले अख़बार में समाचार पढ़ने से पढ़ने में रुचि पैदा होती थी। पठन-पाठन का जो मछंदफथा, उसका परिणाम यह हुआ कि हम अंतत: रेडियो पर उसी अख़बार से समाचार सुनने लगे। बाद में टीवी के उदय के साथ हम टीवी पर वही समाचार देखने लगे और अब सोशल मीडिया के कारण हम समाचार ऑनलाइन देखने लगे। यद्यपि हम विज्ञान की प्रगति के साथ आगे बढ़ गए हैं, हमने पढ़ने का आनंद खो दिया है। पढ़ने से जो आनंद मिलता है वह दुर्लभ होता है।

पढ़ने से कई लोगों का जीवन समृद्ध हुआ है। बहुत कम उम्र में केलुस्कर गुरुजी, डॉ. भारतरत्न बाबासाहेब अम्बेडकर को 'बुद्ध चित्र' पुस्तक उपहार में दी गई थी। इस पुस्तक का प्रभाव यह हुआ कि डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता बने, जबकि महात्मा फुले थॉमस पेन की पुस्तक 'राइट्स ऑफ मैन'को पढ़कर प्रेरित हुए, इसलिए महात्मा फुले एक महान समाजसेवी बने। यह सब केवल और केवल पढ़ने के कारण ही संभव हो पाया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पढ़ने की संस्कृति को बनाए रखने और हर इंसान के दिमाग को समृद्ध करने के लिए पढ़ने का प्यार बचपन से ही मन में डालना चाहिए। अगर हम युवाओं में पढ़ने का स्वाद पैदा करना चाहते हैं तो उनके आसपास ऐसी स्थिति पैदा करना जरुरी है, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ज्यादा ज्ञान हासिल करेंगे। 'किताबें गुरु होती हैं ' और किताबें पढ़ना हमें अलग-अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती है। कहा जाता है कि किताब पढ़ने से मस्तिष्क में निखार आता है और ऐसा सिर किसी के सामने आसानी से नहीं झुकता। एक बार पढ़ने की आदत बन जाने के बाद व्यक्ति तनाव कम करने के लिए किताबों के साथ रहने लगता है। किताबें कमजोर दिमाग को हिम्मत देती हैं। इसलिए निराशा में फंसा व्यक्ति आत्महत्या और हत्या करने से परहेज करता है। आज की तस्वीर यह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा समय इंटरनेट पर बिता रहे हैं। न्यू मीडिया के आने से पढ़ने की संस्कृति लुप्त होती जा रही है। युवाओं में पढ़ने की रुचि विकसित करने और उन्हें पढ़ने के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जन जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता है। 'व्यक्तित्व को बनाना है तो पढ़ना आवश्यक है'का संदेश कई महान लोगों ने दिया है। गहन चिंतन से संगठित समाज बनता है और गहन चिंतन की आदत अच्छे पढ़ने से ही बनती है।

पढ़ना एक जीवन वर्धक चीज है और यह बुद्धि का विकास करता है। पढ़ना मानव जीवन को फलने-फूलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार जीवन की पूर्णता के लिए पढ़ना आवश्यक है। पढ़ना ही ज्ञान को लगातार बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। आज पुस्तकालयों का स्थान इंटरनेट और ई-पुस्तकों ने ले लिया है। विद्यार्थी गर्मी की छुट्टियों में खेलने के साथ-साथ विभिन्न विषयों का अतिरिक्त पठन-पाठन भी करें क्योंकि अतिरिक्त पढ़ने से मन बदल सकता है। पुस्तकों में समृद्ध विचार हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलते हैं। पढ़ना हमारी शब्दावली को बढ़ाता है, अनुभवों के साथ-साथ विचारों और आशाओं को जगाता है, पढ़ने से जिज्ञासा बढ़ती है, रचनात्मकता बढ़ती है, करुणा, दूसरे की पीड़ा के प्रति जागरुकता और इसे समझने के लिए संवेदनशील मन की जरुरत होती है। हम महसूस करते हैं कि दूसरों के प्रति, समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। मन संकीर्ण, तुच्छ बातों में नहीं फँसता। पढ़ना मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, नए शब्द उसे आगे बढ़ाते हैं, पढ़ने से न केवल नई जानकारी मिलती है बल्कि ज्ञान भी बढ़ता है। पढ़ना हमें दूसरों को सुनने का आदी बनाता है। सुनने के लिए धैर्य होना चाहिए। पढ़कर हम स्वत: ही धैर्य बनाए रखना सीख जाते हैं। सामान्य ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने से हमें दोस्तों या लोगों के साथ व्यवहार करते समय किसी विषय पर चर्चा में अपनी बातों को ठीक से प्रस्तुत करने में मदद

मिलती है। पढ़ने से हमें बहुत से लाभ मिल सकते हैं। यह मानसिक उत्तेजना प्राप्त करने में मदद करता है, मन पर तनाव कम करता है, एकाग्रता में सुधार करता है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मन को केंद्रित करने में मदद करता है। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के जन्मदिन को 'वचन प्रेरणा दिवस'के रुप में मनाते हुए हम पठन संस्कृति के प्रति जागरुकता फैला रहे हैं। युवाओं के मन में भी पुस्तकों के प्रति यह स्थायी प्रेम पैदा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। माता-पिता, वास्तव में, परिवार के प्रत्येक सदस्य को घर में पढ़ने का माहौल बनाना चाहिए, ताकि बच्चों में कम उम्र से ही पढ़ने के प्रति प्रेम और स्वाद विकसित हो जाए। तभी वास्तविक अर्थों में पठन संस्कृति को विकसित करने में मदद मिलेगी।

संतोष पाटोले
कोंकण रेलवे, रत्नागिरी

भारत के प्राचीन मंदिर

भारत में ऐसे कई पुराने मंदिर हैं, जिनका इतिहास अति प्राचीन है। इनकी सुंदरता और प्रसिद्धी आज भी बरकरार है। आइए जानें इन मंदिरों के बारे में:-

भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता की चर्चा विश्व भर में फैली हुई हैं। विभिन्न धर्मों के संगम की धरती भारत में एक से बढ़कर एक पुराने व भव्य कलात्मक मंदिर हैं, जिनकी सुंदरता देखने लायक है। हजारों साल पुराने इन मंदिरों की खुबसूरती व समृद्धि को देखकर आप भारत के विशाल इतिहास का अंदाजा लगा सकते हैं। इन मंदिरों की नक्काशी में भारतीय संस्कृति, कला व सौंदर्य का अनूठा संगम है, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। आइए जानें भारत के प्राचीन और मशहूर इन मंदिरों के बारे में -

1. बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु

तमिलनाडु के तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर हिन्दुओं का

एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को 1002 ईस्वी में चोल शासक राजाराज चोल प्रथम ने निर्माण करवाया था। यह मंदिर द्रविड शैली का अनूठा उदाहरण है। इस मंदिर के शीर्ष की ऊंचाई 66 मीटर है। इसकी प्रसिद्धी को देखने लोग मीलों दूरी का सफर तय करते हैं। यह मंदिर अपने समय में विश्व की विशालमय संरचनाओं में गिना जाता था।

2. चेन्नाकेशव मंदिर, कर्नाटक

कर्नाटक के बैलूर में स्थित यह चेन्नाकेशव मंदिर होयलस काल में बनाया गया है। यगाची नदी के किनारे पर स्थित यह मंदिर द्रविड़ शैली पर आधारित है। विष्णु भगवान को समर्पित इस मंदिर की दीवारों पर पौराणिक के पात्रों का चित्रांकन किया गया है। इसकी

संरचना इतनी भव्य है कि इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षाण द्वारा मान्यता दी गई है। इसके तीन प्रवेश द्वारों में से पूर्वी प्रवेश द्वार सबसे अच्छा माना जाता है। इस मंदिर को विजयनगर के शासकों द्वारा चोलों पर उनकी विजय को दर्शाने के लिए बनाया गया था।

3. दिलवाड़ा मंदिर, राजस्थान

राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित

दिलवाड़ा मंदिर पांच मंदिरों का समूह है, जिसका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। जैन धर्म को समर्पित यह मंदिर में 48 स्तम्भ हैं, जिनमें नृत्यांगनाओं की बनी आकृतियां हैं, जो सबको अपनी और आकर्षित करती हैं। इस मंदिर की निर्माण कला अति उत्तम और दर्शनीय है। यह मंदिर जैन धर्म के सबसे सुंदर तीर्थ स्थलों में शामिल है।

4. द्वारकाधीश मंदिर

भगवान श्री कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में मौजूद इस मंदिर को चार धाम यात्रा में शामिल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है। यह इतना पुराना है कि इस मंदिर की चर्चा पुरातात्विक तथ्यों में भी देखने को मिलता है। यह मंदिर पांच मंजिला है, जिसमें लगभग 72 खंभे हैं।

वृक्षारोपण समारोह

नराकास वृक्ष मित्र मंच का गठन 11.06.2024

बाईक रैली

मारुती मंदिर से जयस्तंभ

दिनांक : 14.08.2024

आयोजक : बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय

हर घर तिरंगा

नेत्र चिकित्सा शिविर

दिनांक : 18.08.2024

आयोजक : बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय

रक्तदान शिविर

दिनांक : 05.08.2024

आयोजक : बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय

पिछली बैठक की झलकियां...

छमाही पत्रिका रत्नसिंधु का विमोचन

समिति की ई पत्रिका प्रेरणा का विमोचन

बैंक ऑफ़ इंडिया आंचलिक कार्यालय की ई-पत्रिका स्टार स्नेह

नराकास वार्षिक कार्ययोजना का विमोचन

पिछली बैठक की झलकियां...

वर्ष 2023- 24 के नराकास राजभाषा शील्ड वितरण

समिति के बीस साल पूरे होने पर सदस्य कार्यालयों को सम्मान चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

हिंदी पखवाड़ा

पद्म श्री
जवाहर नवोदय विद्यालय, रत्नागिरी
हिंदी पखवाड़ा 2024-25
वाद-विवाद प्रतियोगिता
J.N.V.
RATNAGIRI

पद्म श्री
जवाहर नवोदय विद्यालय, रत्नागिरी
हिंदी पखवाड़ा 2024-25
J.N.V.
RATNAGIRI

आकाशवाणी रत्नागिरी
ALL INDIA RADIO RATNAGIRI

हिंदी पखवाड़ा

राजभाषा कार्यान्वयन समिति
हिंदी पखवाड़ा

"हिंदी पखवाड़ा आयोजन"
"HINDI FORTNIGHT CELEBRATION"

हिंदी पखवाड़ा

हिंदी पखवाड़ा
आपका हार्दिक स्वागत है।

रत्नागिरी दीपस्तंभ एवं सहअंतर
सार्वभौमिक स्थितिकरण प्रणाली
दूरस्थ नियंत्रण स्टेशन
राजभाषा कार्यान्वयन समिति
तिमाही बैठक दिनांक: 05/09/2024

भारत मौसम विज्ञान विभाग

भारतीय हवामान शास्त्र विभाग

कोंकण रेलवे
क्षेत्रीय रेल प्रबंधक का कार्यालय

कोंकण रेलवे
क्षेत्रीय रेल प्रबंधक का कार्यालय

BOI
RATNAGIRI ZONAL OFFICE

INDIAN COAST GUARD
MINISTRY OF DEFENCE
भारतीय तटरक्षक अवस्थान रत्नागिरी

हिंदी पखवाड़ा

स्वतंत्रता दिवस

दिनांक : 15.08.2024

इस मंदिर की विशालता अति प्राचीन है।

5. श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक विशाल व प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर 108 दिव्य मंदिरों में से एक है। दक्षिण भारत के सबसे खुबसूरत और भव्य मंदिरों में शामिल इस मंदिर को छठी और नौवीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। यह लगभग 156 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे दुनिया का सबसे बडा हिंदू मंदिर भी माना जाता है। इसकी सुंदरता देखने योग्य है।

6. सोमनाथ मंदिर, गुजरात

सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम हैं। गुजरात में स्थित इस मंदिर को 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण स्वयं चन्द्रदेव ने किया था। इस वैभवशाली मंदिर को कई बार तोड़ा गया। फिर भी इस मंदिर की विशालता और भव्यता आज भी कायम है। ऋग्वेद में भी इस मंदिर का उल्लेख किया गया है।

7. ब्रह्मा मंदिर, राजस्थान

राजस्थान के पुष्कर में स्थित इस मंदिर की संरचना 14वीं शताब्दी की मानी जाती है। इस मंदिर को करीब 2000 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के बीचों-बीच ब्रह्मा और उनकी दूसरी पत्नी गायत्री की मूर्ति है। आपको बता दें कि यह मंदिर भारत का एक मात्र ब्रह्मा मंदिर है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। यहां पर साल में दो बार मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें देश-विदेश के बहुत सारे तीर्थ यात्री और पर्यटक भाग लेते हैं।

8. लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर

ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण सोमवंशी राजा जजति केशरि ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। भगवान शिव के एक रूप हरिहारा को समर्पित यह मंदिर काफी विशाल है। इसकी अनुपम स्थापत्य कला बेहद अट्रैक्टिव है, जिसे देखने भारत के कोने-कोने से लोग आते हैं।

9. कैलाश मंदिर, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित यह दो मंजिला मंदिर एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है। लगभग 12 हजार साल पुराने इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। इसे बनाने में करीब 150 साल लगे और 7000 मजदूरों ने इस पर लगातार काम किया। यह मंदिर प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है। दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए यह मंदिर मशहूर है।

संगीता
पत्नी कुणाल महाजन,
बैंक ऑफ इंडिया

मेरा बचपन

"यह बचपन की यादें जब भी आती है,
मेरे भीतर के बच्चे को फिर से जगाती है।
हंसते खेलते सुनहरें पल वो,
नये आज से सुंदर पुराना कल वो।
रुनझुन ध्वनि हवा का रुख,
वो चुनना तिनका तिनका सुख।"

सचमुच कितनी अर्थपूर्ण है ये पंक्तियाँ। हर एक व्यक्ति के जीवनरूपी किताब का सबसे प्यारा, दुलारा, सुंदर और सुनहरा पन्ना होता है ये बचपन, जिसे बार-बार पढ़ने को मन करता है।

मैं स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे माता-पिता तथा परिवार के बड़े बुजुर्गों के प्यार और लाड से भरा बचपन ईश्वर ने प्रदान किया। घर की इकलौती बेटी होने के कारण मेरे तो मजे ही मजे थे। बस दिनभर बच्चों को साथ लेकर खेलना-कुदना, मस्ती करना, घुमना, फिरना यही चलता था दिनभर। बस पेट भरने के लिए सिर्फ दोपहर को हम घर जाते थे। खाना होने के बाद फिर वही सब। ऐसा हमारा दिनक्रम होता था। अच्छा एक बात आपको बताना हो भूल ही गई। आपको पता भी है कि हम कौन कौन से खेल खेलते थे? अरे कुछ पूछो मत कंचीयाँ, गुल्ली डंडा, लुकाछुपी, भातुकली, पतंग उडाना, आटीपाटी और न जाने क्या-क्या। याद आया कुछ? आजकल के बच्चों को तो इनके नाम तक पता नही होंगे। आखिर उनकी भी क्या गलती, मोबाईल नामक एक छोटे से यंत्र ने उनका सारा ध्यान जो आकर्षित किया है। इसके कारण वह खेलकुद सबकुछ भूल गए है। मोबाईल मे ही खेलकूद का आनंद लेते है।

दिनभर की उछल-कूद के बाद शाम को समय पर घर लौटना पडता था। यह दादाजी की सख्त ताकीद थी कि शाम के समय भगवान के दिपप्रज्वलन पर घर पर रहना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर वे हमे डराने के लिए हाथ में डंडा लेकर दरवाजे पर खड़े रहते थे। इसलिए घर के अनुशासन के हिसाब से शाम को समय पर यानि सात बजे घर पर आना ही पड़ता था। उसक पश्चात भगवान के सामने दिपप्रज्वलन करके परिवार के सभी बच्चे बड़े बुढ़े हाथ जोडकर शुभंकरोती यह प्रार्थना करते थे बड़ा ही सुकून मिलता था तब।

रात होते ही रसोई मे बन रहे खाने का सुगंध पूरे घर मे फैलता था। तब तो पूछो ही मत पेट में कौऐ और चिडियाँ दोनो ही जोर शोर से आवाज करती थी। रात को एक साथ बैठकर पूरा परिवार खाने का आस्वाद लेता था। बड़ी जोर और शोर से गप्पें होती थी। हम बच्चे तो सिर्फ इसका मजा लेते थे। सोने का समय आते ही मुझे तो बड़ी खुशी होती थी क्योंकि दादी से हररोज नई नई कहानी जो सुनने को मिलती थी। और फिर कहानी सुनते सुनते नींद की आहोष में हम कब चले जाते पता ही नहीं चलता। इस प्रकार दिन की समाप्ति होती थी।

आज इतने सालों बाद भी मुझे माँ का आंचल और उसका गंध, दादी की गोदी, दादाजी और पिताजी की प्यार भरी डांट याद आती है और मेरा मन फिरसे उडकर भूतकाल मे मेरी बचपन की यादों मे चला जाता है। मेरे जीवन मे इन सभी लोगों का बड़ा ही महत्त्व है। क्योंकि इन सभी के प्यार, दुलार, अनुशासन और संस्कार के कारण ही मैं आज एक सक्षम व्यक्ति बनी हूँ।

मुझे बड़ा दुख होता है उन बच्चों के बारे मे सोचकर जिन्हें ऐसा प्यार, सुनहरा बचपन नसीब नही होता। जिनका बचपन अनाथाश्रम में गुजरता है, किंतु जिनके माता-पिता जीवित होकर भी अपनी मजबूरी के कारण अपने बच्चों को बचपन के वो सुनहरे पल नही दे पाते उन्हें काम पर भेजने के लिए मजबूर होते है।

मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करुंगी की हे "ईश्वर जिस प्रकार तुने मुझे सुनहरा बचपन प्रदान किया उसी प्रकार इन बच्चों की स्थिति मे सुधार ला कर हो सके तो इन्हें भी बचपन का आनंद प्रदान कर दे"

अंत में मै बस इतना कहना चाहती हूँ कि

"ना रोने की वजह थी
ना हँसने का बहाना था।
क्यूँ हो गए हम इतने बड़े? उससे अच्छा तो बचपन का जमाना था"

श्रीमती दर्शना ढेपसे
आकाशवाणी

आपकी बैंक आपका खाता..... केवाईसी

1. व्यक्ति

प्रमुख दस्तावेज़:

* पासपोर्ट
* ड्राइविंग लाइसेंस
* वोटर पहचान पत्र
* पैन कार्ड
* आधार कार्ड

पता प्रमाण दस्तावेज़ः

* उपयोगिता बिल (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, गैस, पानी का बिल)
* संपत्ति या नगर निगम कर रसीद
* पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश
* नियोक्ता द्वारा दिए गए आवास का आवेदन पत्र

2. विदेशी नागरिक/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई

प्रमुख दस्तावेज़ः

* पासपोर्ट
* वैध वीज़ा
* पीआईओ/ओसीआई कार्ड

पता प्रमाण दस्तावेज़ः

* विदेशी अधिकार क्षेत्रों द्वारा जारी दस्तावेज़
* उपयोगिता बिल (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, गैस, पानी का बिल)
* संपत्ति या नगर निगम कर रसीद

3. कंपनियाँ

पंजीकरण दस्तावेज़ः

* निगम का प्रमाणपत्र
* सहमति पत्र एवं अनुच्छेद
* कंपनी का पैन नंबर
* निदेशक मंडल का प्रस्ताव
* अधिकृत प्रतिनिधि दस्तावेज़:
* कोई एक वैध दस्तावेज़
* प्रबंधक, अधिकारियों या कर्मचारियों का पैन/फॉर्म 60

4. साझेदारी फर्म

पंजीकरण दस्तावेज़ः

* पंजीकरण प्रमाणपत्र
* साझेदारी दस्तावेज़
* साझेदारी फर्म का पैन नंबर

अधिकृत प्रतिनिधि दस्तावेज़:

* कोई एक वैध दस्तावेज़
* प्राधिकृत व्यक्ति का पैन/फॉर्म 60

5. ट्रस्ट

पंजीकरण दस्तावेज़ः

* ट्रस्ट दस्तावेज़
* ट्रस्ट का पैन/फॉर्म 60

अधिकृत प्रतिनिधि दस्तावेज़ः

* कोई एक वैध दस्तावेज़
* प्राधिकृत व्यक्ति का पैन/फॉर्म 60

6. असंघटित संघ या व्यक्तियों का समूह

पंजीकरण दस्तावेज़ः

* प्रबंधन निकाय का प्रस्ताव
* असंघटित संघ या व्यक्तियों के समूह का पैन/फॉर्म 60

अधिकृत प्रतिनिधि दस्तावेज़ः

* कोई एक वैध दस्तावेज़
* पदाधिकारी/हस्ताक्षरकर्ताओं का पैन/फॉर्म 60

7. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)

पंजीकरण दस्तावेज़ः

* HUF का पैन कार्ड
* कर्ता का घोषणा पत्र

अधिकृत प्रतिनिधि दस्तावेज़:

* कोई एक वैध दस्तावेज़
* कर्ता का पैन/फॉर्म 60

8. सरकार या उसके विभाग, समाज, विश्वविद्यालय और स्थानीय निकाय

पंजीकरण दस्तावेज़:

* अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाला दस्तावेज़
* कोई एक वैध दस्तावेज़
* प्राधिकृत व्यक्ति का पैन/फॉर्म 60

9. राजनीतिक दल

पंजीकरण दस्तावेज़:

* कार्यसमिति का विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्ताव
* राजनीतिक दल का पैन
* पावर ऑफ अटॉर्नी

अधिकृत प्रतिनिधि दस्तावेज़:

* कोई एक वैध दस्तावेज़
* पदाधिकारी/हस्ताक्षरकर्ताओं का पैन/फॉर्म 60

प्रस्तुति – श्री. अनंत डिगे
मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया

खलिश

कोई खलिश है ज़िन्दगी में मेरे जो खा रही है,
मुझे हर तरफ़ से आईना दिखा रही है !
मेरा वजूद भी अब मुझसे सवाल पूछता है,
शायर, तू इतना लाचार कैसे बन गया है !

ये इत्तेफ़ाक़न तो नहीं के तूने झूठ बोला,
एक मुखौटे के पीछे तू छुप रहा है !
नादानियत तेरी अब तुझे ग़लतियाँ लग रही हैं,
शायर, तेरा आसमान फ़रेब का नहीं है !

अस्लियत में तुझे गुमनमियाँ शरीफ़ लगें,
तेरे सपनों को ऐसा पर्दा क्यों है !
ये तस्वीर किस बात की बनाई है तूने,
जिसका कोई तर्क वजूद से नहीं है !

कोई झूठ तुझे तरक की नहीं देगा समझता है तू,
तेरा जलना बेहद ज़रूरी है !
गुनाहों की माफ़ी एक ही बार है खुदा के दर पे,
एक बार तू दिल खोल के अपने खुदा से माफ़ी
माँग ले !

प्रसाद
पुत्र रमेश गायकवाड
बैंक ऑफ़ इंडिया

राजभाषा कार्यान्वयन

भारतीय संविधान
अनुच्छेद 351

हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश--

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रुप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

भारत सरकार की राजभाषा नीति

आजादी के बाद हमारे देश को जिन समस्याओं का सामना करना पडा, राजभाषा के चयन की समस्या भी उनमें से एक रही। इस समस्या के सर्वसम्मत समाधान के लिए भारत सरकार ने अपनी राजभाषा नीति तैयार की। प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना, भारत सरकार की राजभाषा नीति का सार है। बैंक में हिन्दी के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि के तौर पर नीचे सरकार की राजभाषा नीति का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है।

संविधान

भारत के संविधान में निम्नलिखित विषयों पर अलग-अलग उपबंध हैं।

क) संघ के सरकारी कामकाज की भाषा।

ख) संसद में कार्य-संचालन की भाषा।

ग) कानून बनाने और उच्चतम तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की भाषा। हमारा संबंध, मुख्य रुप से उपर्युक्त 'क' से है।

संविधान में राजभाषा संबंधी उपबंध

संविधान के भाग 17 में, अनुच्छेद 347 से 351 तक, राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 343 (1) में यह कह गया है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का स्वरुप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रुप होगा, यथा 1,2,3,4,5,6...

अनुच्छेद 343 (2) के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने पश्चात पंद्रह वर्षों तक अर्थात् 26 जनवरी 1950 से 1965 तक अंगरेजी का प्रयोग पूर्ववत जारी रहेगा। साथ ही यह भी उपबंध किया गया कि 1965 के पहले भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी कार्य के लिए अंगरेजी के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है।

अनुच्छेद 343 (3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह अधिनियम पारित कर 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंगरेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था कर सकती है।

1955 में गठित राजभाषा आयोग और इस आयोग की सिफारिशों पर राय देने के लिए 1957 में गठित संसदीय समिति - इन दोनों का यह विचार था कि 1965 के बाद हिन्दी के साथ-साथ अंगरेजी का प्रयोग भी चलता रहे। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण ऐसा अनुभव किया गया कि 1965 के बाद भी अंगरेजी के प्रयोग को जारी रखना व्यावहारिक होगा।

अनुच्छेद 343 (3) के उपबंध के अंतर्गत तथा इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार संविधान लागू होने के 15 वर्षों के बाद अर्थात्

25 जनवरी 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में हिन्दी के अतिरिक्त अंगरेजी का प्रयोग किया जा सकेगा। इसी अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि संघ सरकार के कार्यों में कतिपय दस्तावेज अनिवार्यत: द्विभाषिक रुप में अर्थात् हिन्दी और अंगरेजी में साथ-साथ जारी किए जाएंगे, यथा

1. संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञप्तियां।
2. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा प्रतिवेदन और राजकीय कागज-पत्र।
3. संविदा (कांट्रेक्ट), करार (एग्रीमेंट), अनुज्ञप्ति (लाइसेंस), अनुज्ञा पत्र (परमिट), सूचना (नोटिस), निविदा (टेंडर) और निविदा फार्म (टेंडर फार्म)

सामान्य आदेश में शामिल हैं-1. ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए हों और स्थायी प्रकार के हों, 2. ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में हों या उनके लिए हों, 3. ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों।

तत्पश्चात राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) पारित किया गया। इसी के साथ द्विभाषिकता की अनिवार्यता का दौर शुरु हुआ। साथ ही इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि सरकारी कामकाज के लिए अंगरेजी का प्रयोग जारी रखने संबंधी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हिन्दी को राजभाषा के रुप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल आवश्यक संकल्प पारित न कर दें और उसके बाद ऐसा करने के लिए संसद का प्रत्येक सदन भी इस आशय का संकल्प पारित न कर दें।

अनुच्छेद 344 में प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा के प्रयोग पर सिफारिश करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया जाए। इस आयोग की सिफारिश पर राय देने के लिए 30 सांसदों की एक समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया, जिसमें लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10

सदस्य होंगे।

अनुच्छेद 345, 346 व 347 में प्रादेशिक भाषाओं के समुचित विकास एवं प्रयोग के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य विधान मंडल नियम बनाकर उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक भाषा या भाषाओं को या हिन्दी को शासकीय प्रयोजनों की भाषा बना सकते हैं। अनुच्छेद 346 के अनुसार राज्यों के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र व्यवहार संघ की राजभाषा में किया जाएगा। अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग के चाहने पर उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति उस राज्य अथवा उसके भाग विशेष में, मान्यता के लिए आवश्यक निदेश दे सकेंगे।
अनुच्छेद 348 (1) के अनुसार जब तक संसद विधि के द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न करें, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों तथा केन्द्र और राज्य के सभी अधिनियमों, विधेयकों, अध्यादेशों और संविधान के अधीन अथवा किसी राज्य अथवा केन्द्रीय विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों विनियमों या उपनियमों के प्राधिकृत पाठ अंगरेजी भाषा में होंगे। लेकिन इस अनुच्छेद के खंड (2) में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी राज्य के राज्यपाल उस राज्य में स्थित उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिन्दी अथवा राज्य के सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे।

अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद 350 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शिकायत दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को संघ में या राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हक है।

अनुच्छेद 351 में हिन्दी के विकास के लिए स्पष्ट निदेशों का उल्लेख है। केन्द्र सरकार का यह दायित्व होगा कि वह हिन्दी का प्रचार-प्रसार करे ताकि हिन्दी देश की सामासिक संस्कृति का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। शब्द निर्माण के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: भारतीय भाषाओं से शब्द लेकर हिन्दी को समृद्ध बनाने का उल्लेख किया गया है। आरंभ में संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गयी थी। बाद में 1967 में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को भी इस अनुसूची में शामिल किया गया। 2003 में 92 वें संशोधन द्वारा चार और भाषाएँ (बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली) जोड़ी गई। वर्तमान में इस अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं।

अष्टम अनुसूची
अनुच्छेद 344 (1) और 351

1. असमिया	2. ओड़िया	3. उर्दू	4. कन्नड़
5. कश्मीरी	6. गुजराती	7. तमिल	8. तेलुगू
9. पंजाबी	10. बंगला	11. मराठी	12. मलयालम
13. संस्कृत	14. सिंधी	15. हिन्दी	16. नेपाली
17. कोंकणी	18. मणिपुरी	19. बोडो	20. संथाली
21. मैथिली	22. डोगरी		

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967)

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा (2) धारा (3), जनवरी 1965 के 26 वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं - (क) नियत दिन, धारा 3 के संबंध में 26 जनवरी 1965 का दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में नियत दिन वह दिन अभिप्रेत है जब संबंधित प्रावधान
प्रभावी होते हैं।

(ख) हिन्दी से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3)

1) संकल्प, साधारण आदेश परिपत्र, परिपत्रक, कार्यालय आदेश आदि, नियम अधिसूचना, प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, सूचना और निविदा प्रारुप। उक्त दस्तावेज अनिवार्यत: द्विभाषी हिन्दी-अंगरेजी में जारी किए जाएंगें

4. राजभाषा के संबंध में समिति - जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के बाद राजभाषा के संबंध में एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर सदन के समक्ष रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएंगे। राष्ट्रपतिजी उन पर विचार करने के बाद उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेंगे।

5. केन्द्रीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत पाठ - नियत दिनों को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का अथवा संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनिमय या उपविधि का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

6. कतिपय दशाओं में अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद - किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदि में हिन्दी भाषा या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग - नियत दिन से ही या तत्पश्चात

किसी भी दिन से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से राज्य के राज्यपाल द्वारा अंगरेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहाँ कोई निर्णय, डिक्री, आदेश (अंगरेजी भाषा से भिन्न) किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहाँ उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंगरेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति - इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार नियम बना सकेगी।

9. कतिपय उपबंधों को जम्मू- कश्मीर पर लागू नहीं होगा - धारा - 6 और धारा - 7 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे।

संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) की महत्वपूर्ण विशेषताएं

नियम-1 ये नियम तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होते हैं।

नियम-2 क. ये नियम केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों पर लागू होते हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन/निगम या कंपनी के कार्यालय भी शामिल हैं।

ख. संपूर्ण भारत का भाषावार वर्गीकरण किया गया। 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं; 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं; 'क्षेत्र ग' से उपर्युक्त में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

नियम-3 राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि

(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अँगरेज़ी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से-

(क) क्षेत्र ख में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हा को पत्रादि सामन्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अँगरेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अँगरेज़ी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे।

(ख) क्षेत्र ख के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अँगरेजी में भेजे जा सकते हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र ग में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो या व्यक्ति को पत्रादि अँगरेज़ी में होंगे।

(4) उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र ग में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क या ख में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अँगरेजी में हो सकते हैं। परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान रखते हुए समय समय पर अवधारित करें।

नियम -4 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि

(क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अँगरेज़ी में हो सकते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र क में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे।

(ग) क्षेत्र क में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खंड क या खंड ख में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे,

(घ) क्षेत्र क में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र ख या ग में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अँगरेज़ी में हो सकते हैं; परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करे।

(ङ) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अँगरेज़ी में हो सकते हैं; परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान रखते हुए समय समय पर अवधारित करे। परन्तु जहां ऐसे पत्रादि-

(i) क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' के किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में

अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

(ii) क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा; परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

नियम-5 नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्यत: हिन्दी में ही दिए जाएं।

नियम-6 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंगरेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएं, निष्पादित किए जाएं और जारी किए जाएं।

नियम-7 कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन जब भी हिन्दी में किया जाए या उसमें हिन्दी में हस्ताक्षर किए जाएं तो उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।

नियम-8 1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी हिन्दी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद अंगरेजी भाषा में प्रस्तुत करें।

2) केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है किसी दस्तावेज के अंगरेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो।

3) हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए कहा जा सकेगा।

4) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, ऐसा अधिसूचित कार्यालय तय कर सकती है, जहां टिप्पणी तथा प्रारुपण लेखन और उक्त आदेश में बताये गए शासकीय प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों द्वारा केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हो।

नियम-9 किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिन्दी प्रवीणता प्राप्त है जब उसने मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या स्नातक परीक्षा में अथवा उसके समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रुप में लिया था या घोषणा-पत्र प्रस्तुत करता हो कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है।

नियम-10 1) किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है यदि उसने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है अथवा केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्राज्ञ परीक्षा या सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में विनिर्दिष्ट कोई परीक्षा को उत्तीर्ण कर ली है। अथवा घोषणा-पत्र प्रस्तुत करता हो कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80% कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

4) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

नियम-11 केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के प्रयोग में आने वाले मैनुअल, संहिताएं, अन्य प्रक्रिया साहित्य, स्टेशनरी की वस्तुएं जैसे फार्म, सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा स्टेशनरी की अन्य मदें हिन्दी और अंगरेजी में अर्थात् द्विभाषी होंगी।

नियम-12 प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि

राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के उपाय करें।

संसदीय राजभाषा समिति

गठन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 (1) में किये गये प्रावधान के अनुरूप संसदीय राजभाषा समिति का गठन प्रथम बार जनवरी, 1976 में किया गया।

इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के होते हैं। इस समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय गृहमंत्री जी द्वारा की जाती है। समय-समय पर लोकसभा/राज्यसभा के चुनावों के अनुरूप समिति का पुनर्गठन किया जाता है। कार्य संचालन की दृष्टि से इस समिति की तीन उप समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों को अलग-अलग मंत्रालय/विभाग आबंटित किये गये हैं। बैंकों से संबंधित उप समिति का नाम तृतीय उप समिति है।

समिति के कार्य

यह समिति भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की दिशा में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करके उन पर अपनी सिफारिशों सहित माननीय राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

निरीक्षण दौरे का स्वरूप

समिति द्वारा किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने से पूर्व उसकी सूचना, समिति सचिवालय द्वारा संबंधित शाखा/कार्यालय को समय रहते दे दी जाती है। साथ ही समिति की ओर से उसे एक निरीक्षण प्रश्नावली भी भेजी जाती है, जिसके माध्यम से वह कार्यालय अपने यहां की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सूचना समिति को उपलब्ध करा देता है। निरीक्षण के अवसर पर समिति सदस्यों की, संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख एवं अन्य सहयोगी अधिकारियों के साथ एक बैठक होती है जिसमें इस प्रश्नावली में दी गई सूचना के आधार पर ही राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

उच्चाधिकारियों के लिए टिप्पणियां

Action may be taken	कार्रवाई की जाए
Aproved	अनुमोदित
Exercise caution	सावधानी बरतें
For information please	आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत
For your approval please	आपके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत
For comment, please	कृपया टिप्पणी दें
For your consideration/instructions please	आपके विचारार्थ/अनुदेशों के लिए प्रस्तुत
I agree/I do not agree	मैं सहमत हूँ/मैं सहमत नहीं हूँ
Immediate	तत्काल
Keep pending	कृपया स्थगित रखें
May be informed accordingly	कृपया तदनुसार सूचित करें
May be sanctioned	स्वीकृत करें
No.	नहीं
O.K.	ठीक है
Please discuss	कृपया चर्चा करें
Please confirm	कृपया पुष्टि करें
Please do the needful	कृपया आवश्यक कारवाई करें
Please investigate the matter and submit the report	मामले की जांच करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें
please issue circular	परिपत्र जारी करें
Please issue necessary instructions	आवश्यक अनुदेश जारी करें
Please issue reminder	कृपया स्मरणपत्र/अनुस्मारक भेजें
Please show back papers	पिछले कागजात दिखाएं
Please treat the matter as closed	कृपया मामले को समाप्त समझें
Please verify the facts	कृपया तथ्यों का सत्यापन करें
Put up to MD & CEO/ED/GM	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक को प्रस्तुत करें
Recommended	अनुशंसित
Remind me this on	दिनांक को मुझे स्मरण दिलवाएं
Sanctioned	स्वीकृत
Sanctioned subject to terms and conditions / stipulations	निबंधनों और शर्तों तथा अनुबंधों के अध्यधीन स्वीकृत
See me with relevant papers	संबंधित कागजातों के साथ मुझे मिले
Seen	देख लिया
Thanks	धन्यवाद
Urgent	तत्काल
Yes	हां

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में
हिंदी पखवाडा 01 अक्तूबर से 15 अक्तूबर, 2024 प्रतियोगिता के परिणाम

संख्या	दिनांक	प्रतियोगिता	आयोजक संस्थान	पुरस्कार	विजेता का नाम	संस्थान
1.	04/10/2024	आशुभाषण	भारतीय तटरक्षक अवस्थान	प्रथम	के.एन.मुरलीधरन	कोंकण रेलवे
				द्वितीय	कृष्ण देव पांडेय	भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान
				तृतीय	बी.सी.नायक	भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान
				प्रोत्साहन	संग्राम पाटील	भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान
				प्रोत्साहन	मुकुल बन्सल	बैंक ऑफ इंडिया
2.	08/10/2024	प्रशासनिक शब्दावली	भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान	प्रथम	अजय शर्मा	भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान
				द्वितीय	चंद्रकांत कुमार	भारतीय तटरक्षक अवस्थान
				तृतीय	हंसराम मीना	सीमा शुल्क मंडल कार्यालय
				प्रोत्साहन	ललित प्रकाश	दीप स्तंभ
				प्रोत्साहन	नचिकेता प्रताप	भारतीय स्टेट बैंक
3.	09/10/2024	काव्य वाचन	आकाशवाणी	प्रथम	राजेश सोनार	पवन गुब्बारा वेधशाला
				द्वितीय	दर्शना ढेपसे	आकाशवाणी
				तृतीय	प्रणाली प्रमोद गमरे	केनरा बैंक
				प्रोत्साहन	ललित प्रकाश	दीप स्तंभ एवं डीजीपीएस
				प्रोत्साहन	कृष्ण देव पांडेय	भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान
4.	14.10.2023	सुलेखन प्रतियोगिता	सीमा शुल्क कार्यालय	प्रथम	श्याम सिंह	भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान
				द्वितीय	प्रसाद कृष्णा कांबले	भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान
				तृतीय	उत्तम नारायण गावडे	सीमा शुल्क मंडल कार्यालय
				प्रोत्साहन	प्रणिल पांडूरंग पाटील	भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान
				प्रोत्साहन	विष्णू रामकृष्ण तिडके	भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान
5.	15.10.2023	ऑनलाइन प्रतियोगिता	बैंक ऑफ इंडिया	प्रथम	अनिल कुमार सिंह	पवन गुब्बारा वेधशाला
				द्वितीय	अभिनव कुमार सिंह	पवन गुब्बारा वेधशाला
				तृतीय	आशिष कुमार	बैंक ऑफ इंडिया
				प्रोत्साहन	महेंद्र जयसिंगराव शिंदे	कोंकण रेलवे
				प्रोत्साहन	कृष्ण देव कुमार भार्गव	बैंक ऑफ इंडिया (सं)
					अजय शर्मा	भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान (सं)

गौरव

दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी रत्नागिरी कार्यालय को मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय हिन्दी राजभाषा विभाग से प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते समय अक्षय माइन। वर्ष 2023 -2024 क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीमती अलका आगरकर और हिंदी विभाग प्रमुख राधिका कट्टी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

बैंक ऑफ़ इंडिया रत्नागिरी अंचल को वर्ष 2023 -2024 में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रधान कार्यालय से प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार प्रदान करते समय कार्यपालक निदेशक श्री राजीव मिश्रा जी, महाप्रबंधक श्री बिस्वजीत मिश्र जी।

स्वच्छता अभियान

दिनांक 19 सितंबर 2024 | सुबह 7 से 8.30 | स्थान -भाटवे बीच

आयोजक : बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय

चित्रकार...

श्री दत्तप्रसाद केळुसकर
विकास अधिकारी
भा. जी. बी. निगम, रत्नागिरी

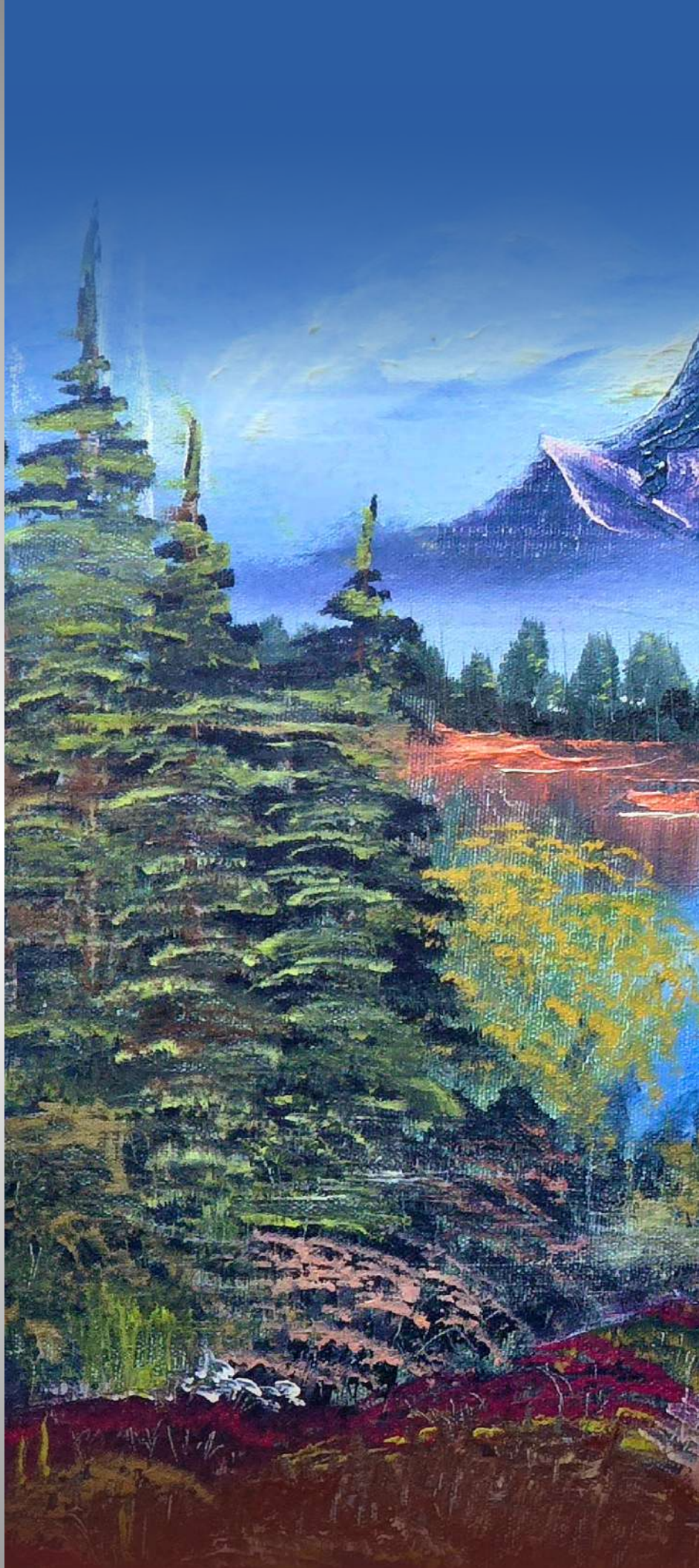

नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति,
रत्नागिरी

बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय,
शिवाजीनगर, रत्नागिरी 415 639 (महाराष्ट्र)